



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246696  
CG-DL-E-20062023-246696

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]  
No. 425]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2023/ज्येष्ठ 29, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2023/JYAISHTHA 29, 1945

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2023

फ़ा. सं. जेड-24/14/1/2020-डीपीसी (स्था.1).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के साथ पठित उप धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) तथा धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तों) विनियम, 1959 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तों) विनियम, 2023 कहे जाएंगे।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1)जब तक कि अन्यथा संदर्भ न हो, इन विनियमों में—

(क) "अधिनियम" का अर्थ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) है;

(ख) "अध्यक्ष, निगम" का अर्थ कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 2 के उप-नियम (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अध्यक्ष है;

(ग) "अध्यक्ष, स्थायी समिति" का अर्थ, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 2 के उप-नियम (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त अध्यक्ष है;

(घ) "निगम" का अर्थ अधिनियम के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम है;

(ङ) "महानिदेशक" का अर्थ निगम का महानिदेशक है;

(च) "कर्मचारी" का अर्थ निगम के कर्मचारियों के संवर्ग पर वहन किया गया अथवा उसमें नियुक्त व्यक्ति है;

(छ) "माह" का अर्थ एक कैलेंडर माह है;

(ज) "पद" का अर्थ निगम के अधीन एक पद है, जो इन विनियमों के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है, जिसमें सेवा की शर्तें, भर्ती की पद्धति को छोड़कर, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होंगी;

(झ) "अनुसूची" का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची;

(ञ) "सेवा" का अर्थ निगम के अधीन सेवा है;

(ट) "स्थायी समिति" का अर्थ अधिनियम की धारा 8 के अधीन निगम की यथागठित स्थायी समिति है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो कि परिभाषित नहीं की गई हैं, उनका संबंधित अर्थ वही होगा जो अधिनियम, या जो समान वेतनमान आहरित करने वाले, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू प्रासंगिक नियमों में दिया गया है।

**3. अनुप्रयोग.—**(1) ये विनियम, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में निगम के प्रत्येक नियमित कर्मचारी पर लागू होंगे।

(2) प्रदाता प्राधिकरणों नामतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय निकायों या विश्वविद्यालयों सहित स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्ति आधार पर निगम द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के मामले में, नियुक्ति के निबंधन और शर्तों, द्वितीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदाता प्राधिकरण के परामर्श से किए व्यवस्थापन अनुसार शासित होंगी।

(3) ये विनियम संविदा अथवा अवधि के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

**4. नियुक्ति प्राधिकारी.—**प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वितीय अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे:

परंतु निगम का अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निगम के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद या पदों की श्रेणी में नियुक्ति करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है।

**5. परिवीक्षा.—**(1) सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियोजन द्वारा अधिवर्षिता की आयु से पूर्व किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती या पदोन्नति या पुनर्नियोजन के आधार पर अधिवर्षिता की आयु से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में परिवीक्षा अवधि तथा संबंधित अन्य सेवा-शर्तें तदनुसार होंगी जो केंद्रीय सरकार के समान वेतनमान आहरित करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू हैं।

**6. त्यागपत्र, सेवा-समाप्ति आदि.—**(1) इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए, स्थायी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय का लिखित रूप में तीन माह का नोटिस दिए बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा और यह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति के अधीन होगा।

(2) इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए, अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय का लिखित रूप में एक माह का नोटिस दिए बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा और यह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति के अधीन होगा।

(3) त्यागपत्र या सेवा-समाप्ति के संबंध में, तदनुसूची वेतनमान आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यथा लागू नियम या अनुदेश उप-विनियम (1) और (2) में संदर्भित निगम के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं, किसी भी समय बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं:

बशर्ते ऐसे किसी भी कर्मचारी की सेवाएं तुरंत समाप्त की जा सकती हैं और इस तरह की सेवा-समाप्ति पर कर्मचारी नोटिस की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके लिए नोटिस एक माह से कम पड़ता है, अपने वेतन और भत्तों की राशि के बराबर की राशि का दावा उस दर पर करने का हकदार होगा, जिस दर पर वह उन्हें सेवा-समाप्ति से तुरंत पूर्व प्राप्त कर रहा था।

**7. वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति की आयु और भत्ते .-** (1) निगम के अधीन पदों से जुड़े वेतनमान प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

- 2) केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, जो केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो, *आवश्यक परिवर्तनों सहित* समान वेतनमान पाने वाले निगम के कर्मचारियों पर लागू होगी।
- (3) सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960, जो केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो, *आवश्यक परिवर्तनों सहित* समान वेतनमान पाने वाले निगम के कर्मचारियों पर लागू होगी।
- (4) निगम के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु वह होगी, जो मूल नियम के नियम 56 के अनुसार समान वेतनमान आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।
- (5) निगम के कर्मचारी यात्रा भत्ता और रियायतों सहित ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो तदनुसूची वेतनमान आहरित करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर स्वीकार्य होंगे।

**8. पेंशन संबंधी लाभ .-** (1) अधिनियम की धारा 16 के अधीन नियुक्त प्रधान अधिकारियों के अतिरिक्त निगम के सभी नियमित कर्मचारी, जो 31 दिसंबर, 2003 को या उस से पहले सेवा में आए, पेंशन, पेंशन के संराशीकरण, कुटुम्ब पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान और सेवा उपदान के लाभ के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अधीन केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू है:

बशर्ते कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनभोगियों के मामले में, अंतिम आदेश पारित करने से पहले, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 8 के परंतुक के उपबंध के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श लागू नहीं होगा।

- (2) 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले निगम के नियमित कर्मचारियों के मामले में, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2021 लागू होंगी:

बशर्ते कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में, अंतिम आदेश पारित करने से पहले केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2021 के नियम 5 के परंतुक के उपबंध के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श लागू नहीं होगा।

- (3) एक कर्मचारी जिसे कोई चोट लगती है, या चोट लगने के कारण जिसकी मृत्यु हो जाती है, या अपने कर्तव्य के पालन के दौरान और उसके कारण जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे, समान वेतनमान और केंद्रीय सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में निर्धारित शर्तों के अधीन, इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख पर यथा लागू तथा ऐसे आशोधनों के अधीन भी जिन्हें केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा अपनाया जाए, असाधारण पेंशन दी जा सकती है।
- (4) निगम के कर्मचारियों के मामले में, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में निर्धारित प्राधिकारियों की शक्तियों और प्रकार्यों का प्रयोग, इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष, निगम के अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा समय-समय पर जारी लिखित आदेशों के अनुसार निगम के अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

**9. नियंत्रण और अनुशासन.-** (1) निगम के सभी कर्मचारी, अध्यक्ष, निगम, के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

- (2) इन विनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक, वित्त आयुक्त और मुख्य सतर्कता अधिकारी को छोड़कर, निगम के सभी कर्मचारियों के संबंध में आचरण और अनुशासन, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, द्वारा शासित होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो सकता है, या अध्यक्ष, निगम, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

(3) निगम में प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं और निगम के कर्मचारियों के आचरण, अनुशासन और नियंत्रण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

**10. निलंबन.—** (1) नियुक्ति प्राधिकारी, या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी है, या अनुशासनिक प्राधिकारी, या महानिदेशक द्वारा साधारण या विशेष आदेश से, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी, निगम के किसी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा—

(क) जहां उसके विरुद्ध किसी अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार किया गया है या लंबित है; अथवा

(ख) जहां, उक्त प्राधिकारी की राय में, वह स्वयं ऐसे क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जो निगम के हितों या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं; अथवा

(ग) जहां उसके विरुद्ध किसी दांडिक अपराध से संबंधित कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है:

परंतु निलम्बन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के स्तर के प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी को उन परिस्थितियों की तत्काल रिपोर्ट करेगा, जिसमें आदेश किया गया था।

(2) यदि निगम के किसी कर्मचारी को -

(क) चाहे किसी आपराधिक आरोप के लिए या अन्यथा, अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है तो वह निरोध की तारीख से;

(ख) उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने पर अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जाता है और ऐसी दोषसिद्ध के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया जाता है या हटाया नहीं जाता है या अनिवार्यता सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है तो ऐसी दोषसिद्ध की तारीख से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलंबित किया गया समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण -** इस उप-विनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटों की अवधि, दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से संगणित की जाएगी और कारावास की आंतरायिक कालाविधियों को, यदि कोई है तो, इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(3) जहां निलम्बनाधीन किसी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के लिए अधिरोपित कोई शास्ति इन विनियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दी जाती है और मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ, पुनः भेज दिया जाता है, तो उसके निलंबन के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह को पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के मूल आदेश की तारीख से ही प्रवृत्त बना हुआ है और अगले आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(4) जहां किसी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के लिए अधिरोपित कोई शास्ति, किसी न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त या शून्य घोषित कर दी जाती है या हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार कर, यह विनिश्चय करता है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों की जिन पर पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, अतिरिक्त जांच की जाए, तो कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के मूल आदेश कि तारीख से, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और अगले आदेश होने तक निलम्बित बना रहेगा।

परंतु ऐसी अतिरिक्त जांच का आदेश उसी स्थिति में दिया जाएगा जब कि न्यायालय ने मामले के गुणवगुणों पर विचार किए बिना पूर्णतः तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो।

(5) (क) उप-नियम (7) में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन किया गया या किया गया समझा जाने वाला निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि यह उस प्राधिकारी द्वारा आशोधित या रद्द नहीं कर दिया जाता, जो ऐसा करने के लिए सक्षम है।

(ख) जहां कोई कर्मचारी (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित किया जाता है या निलम्बित किया हुआ समझा जाता है और इस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है तो वह प्राधिकारी, जो उसे निलम्बित रखने के लिए सक्षम है, ऐसे कारणों के लिए, जो उसके द्वारा लेखबद्ध



किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि कर्मचारी तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक कि ऐसी सभी कार्यवाहियां या उनमें से कोई कार्यवाही समाप्त न हो जाए।

(ग) इस विनियम के अधीन किया गया या किया गया समझा जाने वाला निलम्बन का आदेश किसी भी समय, उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया था या जिससे द्वारा आदेश किया समझा गया था, अथवा उस प्राधिकारी द्वारा जिसके अधीनस्थ वह प्राधिकारी है, आशोधित या रद्द किया जा सकता है।

(6) (क) इस विनियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन आदेश, इस प्रयोजनार्थ गठित समीक्षा समिति की सिफारिश पर, निलम्बन की तारीख से नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले आशोधित या प्रतिसंहरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी और निलम्बन की अवधि बढ़ाते हुए या प्रतिसंहरण करते हुए आदेश पारित किए जाएंगे।

(ख) परवर्ती समीक्षाएं निलम्बन की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले की जाएँगी। निलम्बन का विस्तारण एक बार में एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगा।

(7) उप विनियम (1) या (2) के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन आदेश नब्बे दिनों की अवधि के बाद तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसे नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले, समीक्षा के बाद आगे और अवधि के लिए विस्तारित नहीं कर दिया जाता :

परंतु उप विनियम (2) के अधीन समझे गए निलम्बन के मामले में, निलम्बन की ऐसी समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, यदि कर्मचारी निलम्बन के 90 दिनों के पूरा होने के समय निलम्बित बना रहता है और ऐसे मामले में 90 दिनों की अवधि की गणना अभिरक्षा में निरुद्ध कर्मचारी की निरुद्धि से रिहाई की तारीख या जिस तारीख को उसकी निरुद्धि से रिहाई की बात उसकी नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित की जाती है, जो भी पश्चातवर्ती हो:

परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहां इन विनियमों के अधीन कोई आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया है, निलम्बन या समझा गया निलम्बन, जैसा भी मामला हो, जिसके अंतर्गत उप विनियम (6) के निबंधनों के अनुसार कोई विस्तारित अवधि भी है, के अधीन कुल अवधि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी —

(क) यदि कर्मचारी को उप विनियम (1) के खंड (क) के निबंधनों के अनुसार निलम्बित रखा गया है, तो निलम्बन आदेश की तारीख से दो सौ सत्तर दिन; या

(ख) यदि कर्मचारी को उप विनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग), जैसा भी मामला हो, के निबंधन के अनुसार निलम्बित रखा गया है तो निलम्बन आदेश की तारीख से दो वर्ष; या

(ग) उप विनियम (2) के अधीन समझे गए निलम्बन की दशा में उस तारीख से, जब अभिरक्षा में निरुद्ध कर्मचारी निर्मुक्त होता है या उस तारीख से जब निरोध से उसकी निर्मुक्ति के तथ्य की सूचना उसके नियुक्ति प्राधिकारी को दी जाती है, दो वर्ष, जो भी पश्चातवर्ती हो।

**11. शास्तियां.—** निगम के किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां समुचित और पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के रूप में अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात्:-

**छोटी शास्तियां:**

(i) परिनिंदा;

(ii) उसकी पदोन्नति रोकना;

(iii) उसके द्वारा उपेक्षा या आदेशों के भंग से निगम को उसके द्वारा पहुंचाई गई किसी धन संबंधी हानि की वेतन में से पूर्णतः या भागतः वसूली;

(iv) समय-वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अवनति;

(v) वेतन वृद्धि रोकना।

**बड़ी शास्तियां :**

(vi) खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाए, किसी विशेष निर्धारित अवधि के लिए समय-वेतनमान में किसी निचले तक घटाना और साथ ही ये दिशा-निर्देश देना कि क्या कर्मचारी ऐसे वेतनमान में स्तरावनत किए जाने की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और यह कि क्या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर उनके वेतन भावी वेतन-वृद्धि स्तरावनति के कारण मुलतवी होगी या नहीं;

(vii) किसी निम्नतर समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा पर अवनति जो कर्मचारी का उस समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा पर पदोन्नत के लिए सामान्यतः वर्जन होगी जिससे उसे अवनत किया गया था ऐसा इस विषय से संबंधित निदेशों सहित या उनके बिना किया जा सकेगा कि कर्मचारी जिस श्रेणी पर पद या सेवा से अवनत किया गया है उसमें प्रत्यावर्तन की क्या शर्त होगी और ऐसी श्रेणी या पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन की दशा में उसकी ज्येष्ठता और वेतन की बाबत क्या होगा;—

(क) समय-वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति की अवधि से उसकी भावी वेतनवृद्धि का मुलतवी होना संचालित होगा और यदि हां तो किस सीमा तक; और

(ख) कर्मचारी उच्चतर समय-वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त करेगा;

(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(ix) सेवा से हटाया जाना, जो निगम के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;

(x) सेवा से पदच्युति जो सामान्यतः निगम के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता होगी:

परंतु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आय के ज्ञात स्रोत से अधिक परिसंपत्ति रखने का आरोप या किसी पदीय कार्य को करने या न करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण स्वीकार करने का आरोप सिद्ध हो जाए तो खंड (ix) या खंड (x) में उल्लिखित शास्ति अधिरोपित की जाएगी:

परंतु यह और कि किसी आपवादिक मामले में और लिखित रूप में दर्ज विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

**स्पष्टीकरण—**निम्नलिखित को, इस विनियम के अर्थ में, शास्ति नहीं माना जाएगा, अर्थात् :—

- (i) कर्मचारी की वेतन वृद्धि का इस कारण रोका जाना कि उस पद को, जिसे वह धारित किए हुए है या उसकी नियुक्ति के निबंधनों को शासित करने वाले विनियमों या आदेशों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहा है;
- (ii) किसी कर्मचारी को, विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसकी पदोन्नति के मामले पर विचार करने के पश्चात् अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में उस श्रेणी या पद पर पदोन्नत न करना जिस पर वह पदोन्नति के लिए पात्र है;
- (iii) किसी उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले किसी कर्मचारी का किसी निचली श्रेणी या पद पर इस आधार पर प्रत्यावर्तन कि उसे ऐसी उच्चतर श्रेणी, या पद के लिए विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा या उसके आचरण से असम्बद्ध किसी प्रशासनिक आधार पर अयोग्य समझा गया है;
- (iv) किसी अन्य श्रेणी या पद के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी का, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या समाप्ति पर, उसकी स्थायी श्रेणी या पद पर अपनी नियुक्ति के निबंधनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले विनियमों और आदेशों के अनुसार प्रत्यावर्तन;
- (v) किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाओं का, जिसकी सेवाएं केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से उधार ली गई थीं, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकरण जिससे ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उधार ली गई थीं, के व्ययन पर प्रतिस्थापन;
- (vi) किसी कर्मचारी की अधिविर्षिता या सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

## (vii) सेवाओं का समापन —

- (क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी की सेवाओं का, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा शासित करने वाले विनियमों और आदेशों के अनुसार; अथवा
- (ख) विनियम-6 के उपबंधों के अनुसार किसी अस्थायी कर्मचारी की; अथवा
- (ग) किसी करार के अधीन नियोजित सरकारी कर्मचारी की, ऐसे करार के निबन्धनों के अनुसार;

(viii) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3-ग के अभिप्रेत यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु निगम में बनाई गई शिकायत समिति की सिफारिशों पर दिया गया हर्जाना।

**12. अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकार.—**

(1) निगम के अंतर्गत पदों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं :-

(2) इन विनियमों के अधीन विनियम 11 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम कोई अनुशासनिक प्राधिकारी, इन विनियमों के अंतर्गत खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होने पर भी उक्त विनियम के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकता है।

**स्पष्टीकरण —** जहां किसी वेतनमान में पद धारण करने वाले कर्मचारी अगले उच्चतर वेतनमान के पद पर, परिवीक्षा पर अथवा अस्थायी रूप से पदोन्नत होता है, तो वह इस विनियम के प्रयोजन के लिए उच्चतर वेतनमान का पदधारण करने वाला समझा जाएगा।

**13. शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया.—** (1) शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के संगत उपबंधों के अंतर्गत यथा उपबंधित होगी।

(2) जहां उप विनियम (1) में संदर्भित प्रक्रिया किसी प्रयोजन, जैसे- जांच अधिकारी अथवा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अथवा बचाव सहायक के लिए केंद्रीय सरकार के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति उपबंधित करती है, तो इसके लिए निगम के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा।

(3) निगम में पदों के संबंध में शास्तियां अधिरोपित किए जाने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

परंतु केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के संगत उपबंधों के अंतर्गत यथा उपबंधित संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श निगम के कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा।

**14. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आदि में प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के बारे में उपबंध.—**

(1) जहां किसी कर्मचारी की सेवाएं निगम द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण (इसके पश्चात् इस विनियम में उधार लेने वाले प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) को उधार दी गई है, तो उधार लेने वाले प्राधिकारी को ऐसे कर्मचारी को निलंबन के अधीन रखने के प्रयोजन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां होंगी।

परंतु उधार लेने वाला प्राधिकारी, निगम (इसके पश्चात् इस विनियम में उधार देने वाले प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) को ऐसे कर्मचारी के निलंबन के आदेश या अनुशासनिक कार्यवाही, यथास्थिति, प्रारंभ करने वाली परिस्थितियों की तत्काल जानकारी देगा।

(2) ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही में जांच परिणाम को ध्यान में रखते हुए—

- (i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की राय है कि विनियम 11 के खंड (i) से (v) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित होनी चाहिए, तो वह उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श के बाद उस मामले पर ऐसे आदेश कर सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे -

परंतु उधार लेने वाले प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी;

(ii) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय है कि विनियम 11 के खंड (vi) से (x) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रतिस्थापित कर देगा और जांच की कार्यवाहियां उधार देने वाले प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा तथा उस पर उधार देने वाला प्राधिकारी, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी है, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे, या यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को मामला सौंप देगा, जो उस मामले में ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसे वह आवश्यक समझे।

परंतु ऐसा कोई आदेश पारित करने से पहले अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम 13 के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

**स्पष्टीकरण** — अनुशासनिक प्राधिकारी उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसे अग्रेषित जांच के रिकॉर्ड पर इस खंड के अधीन या जहां तक हो सके, विनियम 13 के उपबंधों के अनुसार आगे ऐसी जांच करने के बाद, जैसी वह आवश्यक समझे, आदेश दे सकेगा।

### 15. निगम में प्रतिनियुक्त पदधारियों के संबंध में उपबंध.—

- (1) जहां निगम (इसके पश्चात् इस विनियम में उधार लेने वाले प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) के किसी कर्मचारी, जिसकी सेवाएं केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारण से उधार ली गई हैं, के विरुद्ध निलंबन का कोई आदेश किया गया है या कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है तो उधार देने वाले प्राधिकारी (इसके पश्चात् इस विनियम के उधार देने वाले प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) को उन परिस्थितियों, जिनमें कर्मचारी के निलंबन के आदेश किए गए थे या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने, जैसा भी मामला हो, की तत्काल जानकारी दी जाएगी।
- (2) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही में निष्कर्षों के आलोक में, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय है कि विनियम 11 के खंड (i) से (v) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी उस पर अधिरोपित होनी चाहिए तो अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम 13 के उपबंधों के अध्याधीन, उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करने के बाद, उस मामले पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह आवश्यक समझे।
- (3) सेवाएं उधार लेने वाले और उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रतिस्थापित कर दी जाएगी।
- (4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि विनियम 11 के खंड (vi) से (x) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रतिस्थापित कर देगा और जांच की कार्यवाहियों को, जैसा वह आवश्यक समझे, उसे ऐसी कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर देगा।

### 16. अपीलें.— इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी-

- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश;
- (ii) निलंबन आदेश से भिन्न, अन्तर्वर्ती प्रकृति का या सहायक प्रकृति का या अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटारे का कोई आदेश;
- (iii) विनियम 13 के अधीन जांच के दौरान किसी जांच प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश।

### 17. आदेश, जिनके विरुद्ध अपील हो सकेगी.—

विनियम 16 के उपबंधों के अध्याधीन, निगम का कर्मचारी निम्नलिखित सभी या किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकेगा, अर्थात् :-

- (i) विनियम 10 के अधीन किया गया या हुआ समझा गया निलंबन का कोई आदेश;
- (ii) विनियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश, चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया हो या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा;
- (iii) विनियम 11 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति में वृद्धि करने वाला कोई आदेश;
- (iv) ऐसा कोई आदेश जो -

- (क) इन विनियमों द्वारा या करार द्वारा यथा विनियमित उसके वेतन, भत्तों, पेंशन या सेवा की अन्य शर्तों से उसे वंचित करता है या उसके अहित में उनमें फेर-फार करता है; अथवा
- (ख) किसी ऐसे विनियम या करार के उपबंधों का उसके अहित में निर्वचन करता है;
- (v) कोई आदेश जो —
- (क) उसे किसी उच्चतर सेवा श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए किसी उसे निम्नतर सेवा श्रेणी या पद पर शास्ति के रूप में निम्न रूप से प्रतिवर्तित करता है।
- (ख) पेंशन कम करता है या उसे रोकता है या इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन से उसे वंचित करता है,
- (ग) उसकी निलम्बन की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके दौरान उसे निलम्बन के अधीन समझा जाता है या उसके किसी भाग के लिए उसे संदत्त किए जाने वाले निर्वाह और अन्य भत्ते अवधारित करता है,
- (घ) निम्नलिखित अवधि के लिए उसके वेतन और भत्ते अवधारित करता है:-
- (i) निलम्बन की अवधि के लिए; या
- (ii) सेवा से उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से या किसी निम्नतर श्रेणी या पुनः स्थापन, पद, समय-मान या वेतन के समय-मान के प्रक्रम में अवनति की तारीख से उसकी सेवा, श्रेणी या पद पर उसकी बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए; अथवा
- (ङ) यह अवधारित करता है कि उसके निलम्बन की तारीख से या उसकी पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निम्नतर सेवा, श्रेणी, पद समय-वेतनमान या वेतन के समय-मान के प्रक्रम में उसकी अवनति की तारीख से उसके ग्रेड या पद पर उसकी बहाली या पुनः स्थापन की तारीख तक की अवधि किसी प्रयोजन के लिए कर्त्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जाएगी या नहीं।

**स्पष्टीकरण—**इस विनियम में, अभिव्यक्ति —

- (i) “निगम का कर्मचारी” पद के अंतर्गत वह व्यक्ति भी आता है, जो निगम की सेवा से मुक्त हो गया है;
- (ii) “पेंशन” पद के अंतर्गत अतिरिक्त पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ आते हैं।

**18. अपीलीय प्राधिकारी.—** निगम का कोई कर्मचारी, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो निगम की सेवा में अब नहीं रहा है, विनियम 17 में विनिर्दिष्ट सभी या किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को, जो इस निमित्त या तो द्वितीय अनुसूची में या अध्यक्ष, निगम के साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या जहां कोई ऐसा प्राधिकारी विनिर्दिष्ट न हो, वहां निम्नलिखित को अपील कर सकेगा अर्थात् —

(क) यदि वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किया गया है तो, नियुक्ति प्राधिकारी को, या

(ख) ऐसा आदेश जो अध्यक्ष, निगम द्वारा किया गया हो तो, केंद्रीय सरकार को;

**19. अपीलों का प्रस्तुतीकरण और विचार किया जाना.—** विनियम 17 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की जाएगी और विनियम 18 में विनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्ररूप एवं रीति से, और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार गृहीत तथा विचरित की जाएगी, जैसी केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में विनिर्दिष्ट है।

**20. अपील के आदेशों का कार्यान्वयन.—** वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील हुई है, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को क्रियान्वित करेगा।

**21. पुनरीक्षण.—** (1) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, —

(i) केंद्रीय सरकार; या

(ii) अध्यक्ष निगम; या

(iii) महानिदेशक; या

(iv) द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, पुनरीक्षित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की तारीख से छह माह के भीतर, अपील प्राधिकारी, या

(v) अध्यक्ष, निगम के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी और उतने समय के भीतर जितना ऐसे साधारण या विशेष आदेश में विहित किया जाए, किसी भी समय, उस पर या स्वप्रेरणा पर या अन्यथा किसी जांच के अभिलेख को किसी भी समय मंगवा सकेगा और इन विनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा किंतु जिसकी कोई अपील की नहीं गई है या जिसकी कोई अपील की अनुमति नहीं है, और

(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा, या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट, कम, वर्धित या अपास्त कर सकेगा या जहां कोई शास्ति अधिरोपित न की गई हो, वहां शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, या

(ग) मामला उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी अतिरिक्त जाँच का निदेश देते हुए भेज सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परंतु किसी भी शास्ति को अधिरोपित या वर्धित करने का आदेश किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निगम के कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है और विनियम 11 के खंड (vi) से (x) तक में से विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने या उस आदेश द्वारा, जिसे पुनरीक्षित किया जाना है, अधिरोपित शास्ति को कथोक्त विनियम के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति तक वर्धित करने का प्रस्ताव किया जाता है; और यदि उस मामले में विनियम 13 के अधीन पहले से जांच न की गई हो, वहां ऐसी कोई शास्ति विनियम 13 में दी गई रीति में जांच के पश्चात के सिवाय अधिरोपित नहीं की जाएगी।

परंतु खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

(क) वह प्राधिकारी, जिसने अपील में आदेश किया है; या

(ख) वह प्राधिकारी जिसे अपील की जा सकती है किन्तु कोई अपील नहीं की गई है, उसके अधीनस्थ नहीं है।

(2) पुनरीक्षण के लिए कोई भी कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(क) अपील की परिसीमा-काल का अवसान नहीं हो जाता; या

(ख) यदि कोई अपील की गई है तो अपील का निपटारा नहीं हो जाता।

(3) पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी मानो वह इन विनियमों के अधीन कोई अपील हो।

**22. पुनर्विलोकन.**— जब कोई नई सामग्री या साक्ष्य जो पुनर्विलोकना आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किया गया था अथवा उपलब्ध नहीं था और जिसमें मामले की स्वरूप को बदल देने का प्रभाव है, केंद्रीय सरकार की जानकारी में आता है अथवा लाया जाता है तो वह किसी भी समय अपनी मर्जी से अथवा अन्यथा, इन विनियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है:

परंतु शास्ति लगाने अथवा बढ़ाने वाला कोई आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित कर्मचारी को उचित अवसर न दिया गया हो अथवा जहाँ विनियम 11 में निर्दिष्ट कोई बड़ी शास्ति लगाने अथवा उक्त आदेश द्वारा लगायी गयी छोटी शास्ति को बड़ी शास्ति में बदलने का प्रस्ताव हो और यदि मामले की जाँच नियम 13 के अधीन पहले नहीं की गई है तो नियम 13 में निर्धारित जाँच पड़ताल करने के पश्चात के सिवाय अधिरोपित नहीं की जाएगी।

**23. कर्मचारियों का आचरण.**— निगम के कर्मचारी आवश्यक परिवर्तनों सहित तदनुरूप वेतनमान आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे।

**24. सेवा की अन्य शर्तें.**— कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित अन्य मामलों में, जिनके लिए इन विनियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, तदनुरूप वेतनमान आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू नियम, लागू होंगे:

परंतु जहां निगम का यह मत है कि इस विनियम के अंतर्गत किसी मामले के संबंध में केंद्रीय सरकार के नियमों या आदेशों से विचलन आवश्यक है, तो निगम केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

**25. केंद्रीय सरकार के नियमों को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.**— इन विनियमों के अंतर्गत निगम के कर्मचारियों पर तदनु रूप केंद्रीय सरकार के नियमों को लागू करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, निगम उन सभी शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, जो केंद्रीय सरकार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत राष्ट्रपति या स्थानीय सरकार या मंत्रालयों या भारत सरकार के विभागों में निहित हैं।

**26. अध्यक्ष, निगम के आदेश को प्रमाणित करने का प्राधिकार.**— अध्यक्ष, निगम द्वारा पारित आदेश (अनुशासनिक मामलों में पारित आदेशों सहित) अपर आयुक्त या बीमा आयुक्त या चिकित्सा आयुक्त, या इनसे ऊपर के पद के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

**27. असाधारण मामलों में छूट.**— जहां महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि किसी कर्मचारी की सेवा की शर्तों के विषय में किसी विनियम या उपबंध के प्रचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कष्ट होता है, तो वह अध्यक्ष, निगम, के पूर्व अनुमोदन से, आदेश द्वारा उस विनियम या उपबंध की अपेक्षाओं को ऐसे विस्तार तक तथा ऐसी शर्तों के अधधीन जैसी किसी न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से मामले में कार्यवाही करने में आवश्यक हो, अभिमुक्त या छूट दे सकेगा,

परंतु ऐसा कोई विचलन या छूट केंद्रीय सरकार के तदनु रूप वेतनमान आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों या अनुदेशों के वर्तमान उपबंधों से अधिक नहीं होगी।

**28. भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ.**— प्रत्येक कर्मचारी से, निगम की सेवा में अपनी नियुक्ति के समय, भारत के संविधान के प्रति स्थापित विधि अनुसार अपनी निष्ठा की शपथ लेना या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करना अपेक्षित होगा।

**29. कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली घोषणा.**— प्रत्येक कर्मचारी जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, निम्नलिखित घोषणा करेगा, नामतः:-

“मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारिवृंद एवं सेवा की शर्तों) विनियम, 2023 को पढ़ा और समझा है तथा मैं एतद्वारा उक्त विनियमों द्वारा बद्ध होने के लिए हस्ताक्षर करता/करती और सहमत होता/होती हूँ।

साक्षी	कर्मचारी
हस्ताक्षर	नाम
नाम	नियुक्ति की प्रकृति
दिनांक:	नियुक्ति की तिथि
व्यवसाय	हस्ताक्षर
पता	दिनांक”

**30. आदेशों, सूचना, आदि का तामील होना.**— इन विनियमों के अंतर्गत संबंधित कर्मचारी पर दिया गया या जारी किया गया प्रत्येक आदेश, सूचना और अन्य आदेशिका उसे व्यक्तिगत रूप से तामील की जाएगी या उसे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा सूचित किया जाएगा।

**31. समय-सीमा में छूट देने और विलंब को माफ करने की शक्ति.**— इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन विनियमों के अंतर्गत कोई आदेश देने का सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त और पर्याप्त कारणों से, इन विनियमों के अंतर्गत किए जाने हेतु अपेक्षित किसी बात के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय को विस्तारित या किसी विलंब को माफ कर सकेगा।

**32. शंकाओं का निवारण.**— इन विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के कारण यदि कोई शंका उत्पन्न होती है तो, वह मामला महानिदेशक या ऐसे अन्य प्राधिकारी, जैसा महानिदेशक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, को संदर्भित किया जाएगा तथा महानिदेशक या ऐसा प्राधिकारी उसे विनिश्चित करेगा।

**प्रथम अनुसूची**  
**[विनियम 2(ज), 3(1),4 और 7(1) देखें]**

क	केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आहरित वेतनमानों के तदनुसूचित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (प्रशासनिक पक्ष) के कर्मचारियों के पद और तदनुसूचित आहरित वेतनमानों को दर्शाने वाला विवरण		
क्र. सं.	पद का नाम	लेवल	वेतन मैट्रिक्स (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>प्रशासनिक पद</b>			
1	बीमा आयुक्त	लेवल- 14	144200 - 218200
2	चिकित्सा आयुक्त	लेवल- 14	144200 - 218200
3	चिकित्सा आयुक्त (आयुष)	लेवल- 14	144200 - 218200
4	अपर आयुक्त	लेवल- 13क	131100 - 216600
5	निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'क'	लेवल- 13	123100 - 215900
6	संयुक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'ख'	लेवल- 12	78800 - 209200
7	उप निदेशक (वरिष्ठ समय वेतन-मान)	लेवल- 11	67700 - 208700
8	उप निदेशक	लेवल- 10	56100 - 177500
9	सहायक निदेशक/प्रबंधक ग्रेड I	लेवल- 8	47600 - 151100
10	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/प्रबंधक ग्रेड III/अधीक्षक	लेवल- 7	44900 - 142400
11	सहायक/प्रधान लिपिक	लेवल- 6	35400 - 112400
12	प्रवर श्रेणी लिपिक/प्रवर श्रेणी लिपिक रोकड़िया	लेवल- 4	25500 - 81100
13	अवर श्रेणी लिपिक	लेवल- 2	19900 - 63200
14	बहु-कार्य स्टाफ	लेवल- 1	18000 - 56900
<b>इंजीनियरिंग पद</b>			
15	मुख्य अभियंता (सिविल)	लेवल- 13क	131100 - 216600
16	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	लेवल- 13	123100 - 215900
17	कार्यपालक अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल)	लेवल- 11	67700 - 208700
18	सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल)	लेवल- 10	56100 - 177500
19	सहायक अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल)	लेवल- 7	44900 - 142400
20	कनिष्ठ अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल)	लेवल- 6	35400 - 112400
<b>बीमांकन पद</b>			
21	बीमांकक	लेवल- 13	123100 - 215900
22	सहायक बीमांकक	लेवल- 11	67700 - 208700
23	उप निदेशक (बीमांकन)	लेवल- 10	56100 - 177500
<b>सूचना प्रौद्योगिकी पद</b>			
24	मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	लेवल- 14	144200 - 218200
25	निदेशक (तकनीकी)	लेवल- 13	123100 - 215900
26	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	लेवल- 12	78800 - 209200
<b>राजभाषा पद</b>			
27	निदेशक (राजभाषा)	लेवल- 13	123100 - 215900
28	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	लेवल- 12	78800 - 209200
29	उप निदेशक (राजभाषा)	लेवल- 11	67700 - 208700



30	सहायक निदेशक (राजभाषा)	लेवल- 10	56100 – 177500
31	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	लेवल- 7	44900 – 142400
32	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	लेवल- 6	35400 – 112400
<b>वैयक्तिक स्टाफ</b>			
33	प्रधान निजी सचिव	लेवल- 11	67700 – 208700
34	निजी सचिव (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)	लेवल- 10	56100 – 177500
35	निजी सचिव	लेवल- 8	47600 – 151100
36	वैयक्तिक सहायक	लेवल- 7	44900 – 142400
37	आशुलिपिक	लेवल- 4	25500 – 81100
<b>स्टाफ कार चालक पद</b>			
38	स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	लेवल- 6	35400 – 112400
39	स्टाफ कार चालक ग्रेड I	लेवल- 5	29200 - 92300
40	स्टाफ कार चालक ग्रेड II	लेवल- 4	25500 – 81100
41	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)/सवार हरकारा/तिपहिया स्कूटर चालक	लेवल- 2	19900 – 63200
<b>पुस्तकालयाध्यक्ष पद</b>			
42	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I	लेवल- 6	35400 – 112400
43	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	लेवल- 5	29200 - 92300
44	पुस्तकालय सहायक	लेवल- 2	19900 – 63200
<b>संवर्ग-बाह्य पद</b>			
45	सहायक विधिक परामर्शदाता	लेवल-11	67700 – 208700
46	आर्टिस्ट	लेवल- 6	35400 – 112400
47	लिफ्टमैन	लेवल-2	19900 – 63200
48	वरिष्ठ गेस्टेटर प्रचालक	लेवल-2	19900 – 63200

<b>ख</b>	केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आहरित वेतनमानों के तदनु रूप कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा पक्ष) के कर्मचारियों के पद और तदनु रूपी आहरित वेतनमानों को दर्शाने वाला विवरण		
<b>क्र.सं.</b>	<b>पद का नाम</b>	<b>लेवल</b>	<b>वेतन मैट्रिक्स (रु. में)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड- II	लेवल-10	56100 – 177500
2	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड- I/चिकित्सा निर्देशी	लेवल-11	67700 – 208700
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	लेवल-12	78800 – 209200
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)	लेवल-13	123100 – 215900
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)	लेवल-14	144200 - 218200
6	चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	लेवल-10	56100 – 177500
7	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	लेवल-11	67700 – 208700
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	लेवल-12	78800 – 209200
9	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद)	लेवल-13	123100 – 215900
10	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (आयुर्वेद)	लेवल-14	144200 - 218200

11	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	लेवल-10	56100 – 177500
12	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	लेवल-11	67700 – 208700
13	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	लेवल-12	78800 – 209200
14	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (होम्योपैथी)	लेवल-13	123100 – 215900
15	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (होम्योपैथी)	लेवल-14	144200 - 218200
16	दंत शल्यचिकित्सक	लेवल-10	56100 – 177500
17	कनिष्ठ स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत)	लेवल-11	67700 – 208700
18	स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत)	लेवल-12	78800 – 209200
19	स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत) (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)	लेवल-13	123100 – 215900
20	दंत शल्यचिकित्सा परामर्शदाता	लेवल-14	144200 - 218200
21	विशेषज्ञ ग्रेड- II (कनिष्ठ वेतनमान)	लेवल-11	67700 – 208700
22	विशेषज्ञ ग्रेड- II (वरिष्ठ वेतनमान) (अति विशेषज्ञ)	लेवल-12	78800 – 209200
23	विशेषज्ञ ग्रेड- II (वरिष्ठ वेतनमान) (अति विशेषज्ञता के अतिरिक्त)	लेवल-12	78800 – 209200
24	विशेषज्ञ ग्रेड- I	लेवल-13	123100 – 215900
25	परामर्शदाता (विशेषज्ञ उप-संवर्ग में पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद)	लेवल-14	144200 - 218200
26	सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	लेवल-11	67700 – 208700
27	सह-आचार्य (चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	लेवल-12	78800 – 209200
28	आचार्य (चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	लेवल-13	123100 – 215900
29	निदेशक आचार्य (चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	लेवल-14	144200 - 218200
30	स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य या संकायाध्यक्ष	लेवल-14	144200 - 218200
31	सहायक आचार्य (दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	लेवल-11	67700 – 208700
32	सह-आचार्य (दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	लेवल-12	78800 – 209200
33	आचार्य (दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	लेवल-13	123100 – 215900
34	निदेशक आचार्य (दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	लेवल-14	144200 - 218200
35	दंत महाविद्यालय के प्राचार्य/संकायाध्यक्ष	लेवल-14	144200 - 218200
36	प्राचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	लेवल-12	78800 – 209200
37	उप प्राचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	लेवल-12	78800 – 209200
38	आचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	लेवल-12	78800 – 209200
39	सह आचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	लेवल-11	67700 – 208700
40	सहायक आचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	लेवल-10	56100 – 177500
<b>अन्य पद</b>			
41	जैव-चिकित्सा अभियंता	लेवल-10	56100 – 177500
42	आपूर्ति शृंखला प्रबंधक	लेवल-10	56100 – 177500
43	कनिष्ठ जैव-रसायनज्ञ (गैर-चिकित्सा)	लेवल-10	56100 – 177500

नर्सिंग पद			
44.	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	लेवल-10	56100 – 177500
45.	नर्सिंग अधीक्षक	लेवल-11	67700 – 208700
46.	मुख्य नर्सिंग अधिकारी	लेवल-12	78800 – 209200
47.	नर्सिंग अधिकारी	लेवल-7	44900 – 142400
48.	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	लेवल-8	47600 – 151100
49.	उप नर्सिंग अधीक्षक	लेवल-10	56100 – 177500
परा-चिकित्सा पद			
50.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ईसीजी)	लेवल-6	35400 – 112400
51.	चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	लेवल-6	35400 – 112400
52.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (विकिरण विज्ञान)	लेवल-6	35400 – 112400
53.	भौतिक-चिकित्सक	लेवल-6	35400 – 112400
54.	आहारविद्	लेवल-7	44900 – 142400
55.	वरिष्ठ आहारविद्	लेवल-10	56100 – 177500
56.	व्यावसायिक चिकित्सक	लेवल-6	35400 – 112400
57.	दंत स्वास्थ्य विज्ञानी	लेवल-6	35400 – 112400
58.	नर्सिंग अर्दली	लेवल-1	18000 - 56900
59.	केंद्रीय विसंक्रमण कक्ष सहायक	लेवल-3	21700 - 69100
60.	केंद्रीय विसंक्रमण कक्ष तकनीशियन	लेवल-4	25500 – 81100
61.	वरिष्ठ केंद्रीय विसंक्रमण कक्ष तकनीशियन	लेवल-5	29200 - 92300
62.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (शल्य-चिकित्सा कक्ष/केंद्रीय विसंक्रमण आपूर्ति विभाग/केंद्रीय विसंक्रमण कक्ष)	लेवल-6	35400 – 112400
63.	शल्य-चिकित्सा कक्ष सहायक	लेवल-3	21700 - 69100
64.	शल्य-चिकित्सा कक्ष तकनीशियन	लेवल-4	25500 – 81100
65.	वरिष्ठ शल्य-चिकित्सा कक्ष तकनीशियन	लेवल-5	29200 - 92300
66.	कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	लेवल-5	29200 - 92300
67.	प्रयोगशाला तकनीशियन	लेवल-5	29200 - 92300
68.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक प्रयोगशाला	लेवल-6	35400 – 112400
69.	रक्त कोष तकनीशियन	लेवल-5	29200 - 92300
70.	वरिष्ठ रक्त कोष तकनीशियन	लेवल-6	35400 – 112400
71.	ड्रेसर	लेवल-3	21700 - 69100
72.	प्लास्टर सहायक	लेवल-3	21700 - 69100
73.	प्लास्टर तकनीशियन	लेवल-4	25500 – 81100
74.	ईसीजी तकनीशियन	लेवल-4	25500 – 81100
75.	वरिष्ठ ईसीजी तकनीशियन	लेवल-5	29200 - 92300
76.	रसोइया/रसोइया-सह-वाहक-सह-मसालची	लेवल-1	18000 - 56900
77.	प्रधान रसोइया	लेवल-2	19900 – 63200

78.	खाद्य-प्रबंधक	लेवल-4	25500 – 81100
79.	धुलाईघर प्रचालक	लेवल-1	18000 - 56900
80.	प्रधान धुलाईघर प्रचालक	लेवल-2	19900 – 63200
81.	धुलाईघर पर्यवेक्षक	लेवल-5	29200 - 92300
82.	धुलाईघर प्रबंधक	लेवल-7	44900 – 142400
83.	चिकित्सा अभिलेख सहायक	लेवल-2	19900 – 63200
84.	चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन	लेवल-4	25500 – 81100
85.	भेषजज्ञ (एलोपैथिक)	लेवल-5	29200 - 92300
86.	वरिष्ठ भेषजज्ञ (एलोपैथिक) (गैर-प्रकार्यात्मक ग्रेड)	लेवल-6	35400 – 112400
87.	भेषजी अधिकारी (एलोपैथिक) (गैर-प्रकार्यात्मक ग्रेड)	लेवल-7	44900 – 142400
88.	वरिष्ठ भेषजी अधिकारी (एलोपैथिक) (गैर-प्रकार्यात्मक ग्रेड)	लेवल- 8	47600 – 151100
89.	भेषजज्ञ (होम्योपैथी)	लेवल-5	29200 - 92300
90.	भेषजज्ञ (आयुर्वेदिक)	लेवल-5	29200 - 92300
91.	दंत मैकेनिक	लेवल-5	29200 - 92300
92.	दृष्टिमितिज्ञ	लेवल-6	35400 – 112400
93.	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ	लेवल-7	44900 – 142400
94.	दृष्टिमिति अधिकारी	लेवल-7	44900 – 142400
95.	श्वसन प्रयोगशाला सहायक	लेवल-4	25500 – 81100
96.	श्वसन प्रयोगशाला तकनीशियन	लेवल-5	29200 - 92300
97.	दर्जी	लेवल-1	18000 - 56900
98.	लिनन कीपर	लेवल-2	19900 – 63200
99.	कनिष्ठ रेडियोग्राफर	लेवल-3	21700 - 69100
100.	डार्क रूम सहायक	लेवल-2	19900 – 63200
101.	रेडियोग्राफर	लेवल-5	29200 - 92300
102.	वरिष्ठ भौतिक-चिकित्सक	लेवल-6	35400 – 112400
103.	बायलर परिचर	लेवल-4	25500 – 81100
104.	इलेक्ट्रिशियन	लेवल-2	19900 – 63200
105.	सामाजिक मार्गदर्शक/सामाजिक कार्यकर्ता	लेवल-4	25500 – 81100
106.	डायलिसिस तकनीशियन	लेवल-5	29200 - 92300
107.	गृह प्रबंधक	लेवल-4	25500 – 81100
108.	सहायक नर्स दाई	लेवल-4	25500 – 81100
109.	कनिष्ठ तकनीशियन (ऑर्थोटिक)	लेवल-2	19900 – 63200
110.	ऑडियोमीटर तकनीशियन	लेवल-5	29200 - 92300
111.	मजदूर	लेवल-1	18000 - 56900
112.	प्रधान जमादार (सफाईवाला के लिए पर्यवेक्षक)	लेवल-1	18000 - 56900
113.	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक	लेवल-5	29200 – 92300

114.	चयन ग्रेड ड्रेसर	लेवल-1	18000 - 56900
115.	दाई	लेवल-1	18000 - 56900
116.	आया	लेवल-1	18000 - 56900
117.	सफाईकर्मी	लेवल-1	18000 - 56900
118.	हवलदार (नर्सिंग अर्दली के लिए पर्यवेक्षक)	लेवल-2	19900 - 63200
119.	चयन ग्रेड महिला स्वास्थ्य परिदर्शक	लेवल-5	29200 - 92300
120.	भंडारपाल-सह-भेषजज्ञ-सह-लिपिक	लेवल-5	29200 - 92300
121.	चेयर साइड असिस्टेंट (दंत)	लेवल-2	19900 - 63200
122.	आर्टिस्ट मॉडेलर	लेवल-6	35400 - 112400
123.	फोटोग्राफर	लेवल-4	25500 - 81100
124.	शारीरिक अनुदेशक	लेवल-6	35400 - 112400
125.	विच्छेदन कक्ष परिचर	लेवल-4	25500 - 81100

## द्वितीय अनुसूची

[विनियम 3(2), 4, 9(3), 12(1), 13(3) और 18 देखें]

क्र. सं.	पद का नाम	लेवल	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी	शास्तियां, जिन्हें अनुशासनिक प्राधिकारी लगा सकते हैं (विनियम 11 में मद संख्या के संदर्भ में)।	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बीमा आयुक्त	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
2	चिकित्सा आयुक्त	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
3	चिकित्सा आयुक्त (आयुष)	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
4	मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)(आयुर्वेद)	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (होम्योपैथी)	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
8	दंत शल्य-चिकित्सा परामर्शदाता	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
9	परामर्शदाता (विशेषज्ञ)	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार

	उप-संवर्ग में पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद)					
10	निदेशक आचार्य (चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
11	स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य या संकायाध्यक्ष	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
12	निदेशक आचार्य (दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
13	दंतमहाविद्यालय के प्राचार्य/ संकायाध्यक्ष	14	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
14	अपर आयुक्त	13क	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
15	मुख्य अभियंता (सिविल)	13क	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
16	निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'क'	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
17	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
18	बीमांकक	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
19	निदेशक (तकनीकी)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
20	निदेशक (राजभाषा)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
21	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
22	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
23	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (होम्योपैथी)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
24	स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत) (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
25	विशेषज्ञ ग्रेड- I	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
26	आचार्य (चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
27	आचार्य (दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	13	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
28	संयुक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'ख'	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार

29	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
30	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
31	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
32	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
33	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
34	स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
35	विशेषज्ञ ग्रेड- II (वरिष्ठ वेतनमान) (अति विशेषज्ञ)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
36	विशेषज्ञ ग्रेड- II (वरिष्ठ वेतनमान) (अति विशेषज्ञता के अतिरिक्त)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
37	सह आचार्य (चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
38	सह आचार्य (दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
39	प्राचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
40	उप प्राचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
41	आचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
42	मुख्य नर्सिंग अधिकारी	12	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
43	कार्यपालक अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
44	सहायक बीमांकक	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
45	उप निदेशक (राजभाषा)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
46	प्रधान निजी सचिव	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
47	सहायक विधिक परामर्शदाता	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
48	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड- I/चिकित्सा निर्देशी	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
49	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
50	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार

51	कनिष्ठ स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
52	विशेषज्ञ ग्रेड- II (कनिष्ठ वेतनमान)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
53	सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
54	सहायक आचार्य (दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थान के लिए)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
55	सह आचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
56	नर्सिंग अधीक्षक	11	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
57	उप निदेशक	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
58	सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल/ इलेक्ट्रिकल)	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
59	उप निदेशक (बीमांकन)	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
60	सहायक निदेशक (राजभाषा)	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
61	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड- II	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
62	चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
63	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
64	दंत शल्यचिकित्सक	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
65	सहायक आचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय)	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
66	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
67	आपूर्ति शृंखला प्रबंधक	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
68	जैव चिकित्सा अभियंता	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
69	कनिष्ठ जैव रसायनज्ञ (गैर-चिकित्सा)	10	अध्यक्ष, निगम	अध्यक्ष, निगम	सभी	केंद्रीय सरकार
70	उप नर्सिंग अधीक्षक	10	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	अध्यक्ष, स्थायी समिति



				महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
71	वरिष्ठ आहारविद्	10	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  महानिदेशक	(i) से (v)  सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति  अध्यक्ष, स्थायी समिति
72	सहायक निदेशक/ प्रबंधक ग्रेड I	8	महानिदेशक	महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
73	निजी सचिव	8	महानिदेशक	महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
74	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	8	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  महानिदेशक	(i) से (v)  सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति  अध्यक्ष, स्थायी समिति
75	वरिष्ठ भेषजी अधिकारी (एलोपैथिक) (गैर प्रकार्यात्मक ग्रेड)	8	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
				क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
76	सहायक अभियंता (सिविल/ इलेक्ट्रिकल)	7	महानिदेशक	महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
77	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	7	महानिदेशक	महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति

78	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/प्रबंधक ग्रेड II/अधीक्षक	7	महानिदेशक	महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
79	वैयक्तिक सहायक	7	महानिदेशक	महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
80	नर्सिंग अधिकारी	7	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  महानिदेशक	(i) से (v)  सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति  अध्यक्ष, स्थायी समिति
81	आहारविद्	7	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  महानिदेशक	(i) से (v)  सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति  अध्यक्ष, स्थायी समिति
82	भेषजी अधिकारी (एलोपैथिक) (गैर-प्रकार्यात्मक ग्रेड)	7	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
83	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ	7	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

			लिए निदेशक मुख्यालय	पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
84	दृष्टिमिति अधिकारी	7	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
85	धुलाईघर प्रबंधक	7	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
86	कनिष्ठ अभियंता (सिविल/ इलेक्ट्रिकल)	6	महानिदेशक	महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
87	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	6	महानिदेशक	महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
88	स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में	(i) से (v)	बीमा आयुक्त (आंचलिक)

			कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)
89	सहायक/प्रधान लिपिक	6	क.रा.बी. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और नोएडा में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय/ अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निदेशक	क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली या निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	बीमा आयुक्त (आंचलिक)
				क.रा.बी. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और नोएडा में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय/ अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निदेशक	सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)
90	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-1	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
91	आर्टिस्ट	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या	(i) से (v)	बीमा आयुक्त

			मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	(आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
92	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ईसीजी)	6	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  महानिदेशक	(i) से (v)  सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति  अध्यक्ष, स्थायी समिति
93	चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	6	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  महानिदेशक	(i) से (v)  सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति  अध्यक्ष, स्थायी समिति
94	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (विकिरण विज्ञान)	6	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	अध्यक्ष, स्थायी समिति

				महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
95	भौतिक चिकित्सक	6	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	अध्यक्ष, स्थायी समिति
				महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
96	व्यावसायिक चिकित्सक	6	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	अध्यक्ष, स्थायी समिति
				महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
97	दंत स्वास्थ्य विज्ञानी	6	महानिदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	अध्यक्ष, स्थायी समिति
				महानिदेशक	सभी	अध्यक्ष, स्थायी समिति
98	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (शल्य-चिकित्सा कक्ष/केंद्रीय विसंक्रमण आपूर्ति विभाग/केंद्रीय विसंक्रमण कक्ष)	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
99	वरिष्ठ तकनीकी सहायक प्रयोगशाला	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
100	वरिष्ठ रक्त कोष तकनीशियन	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
101	वरिष्ठ भेषजज्ञ (ऐलोपैथी) (गैर-प्रकार्यात्मक ग्रेड)	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
102	दृष्टिमितिज्ञ	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)          सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)          चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
103	वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)          सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)          चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
104	शारीरिक अनुदेशक	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)          सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)          चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)



105	आर्टिस्ट मॉडलर	6	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
106	स्टाफ कार चालक ग्रेड I	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
107	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
108	वरिष्ठ केंद्रीय विसंक्रमण कक्ष तकनीशियन	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

			लिए निदेशक मुख्यालय	पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
109	वरिष्ठ शल्य-चिकित्सा कक्ष तकनीशियन	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
110	कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
111	प्रयोगशाला तकनीशियन	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
112	रक्त कोष तकनीशियन	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)          सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)          चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
113	वरिष्ठ ईसीजी तकनीशियन	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)          सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)          चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
114	भेषजज्ञ (एलोपैथिक)	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ	(i) से (v)          सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)          चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय		
115	भेषजज्ञ (होम्योपैथी)	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
116	भेषजज्ञ (आयुर्वेदिक)	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
117	दंत मैकेनिक	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
118	श्वसन प्रयोगशाला तकनीशियन	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

			पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
119	रेडियोग्राफर	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
120	डायलिसिस तकनीशियन	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
121	ऑडियोमीटर तकनीशियन	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
122	धुलाईघर पर्यवेक्षक	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
123	चयन ग्रेड महिला स्वास्थ्य परिदर्शक	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
124	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
125	भंडारपाल-सह-भेषजज्ञ-सह-लिपिक	5	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
126	प्रवर श्रेणी लिपिक/ प्रवर श्रेणी लिपिक रोकड़िया	4	क.रा.बी. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और नोएडा में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय/ अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निदेशक	क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली या निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क.रा.बी. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और नोएडा में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय/ अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निदेशक	(i) से (v)  सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
127	आशुलिपिक	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त	(i) से (v)	बीमा आयुक्त (आंचलिक)

				निदेशक, प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)
128	स्टाफ-कार चालक ग्रेड II	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)          सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)          बीमा आयुक्त (आंचलिक)
129	केंद्रीय विसंक्रमण कक्ष तकनीशियन	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)          सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)          चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
130	शल्य-चिकित्सा कक्ष तकनीशियन	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)          सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)          चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)



				मुख्यालय		
131	प्लास्टर तकनीशियन	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
132	ईसीजी तकनीशियन	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
133	चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
134	श्वसन प्रयोगशाला सहायक	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

			लिए निदेशक मुख्यालय	पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
135	सामाजिक मार्गदर्शक/ सामाजिक कार्यकर्ता	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
136	गृह प्रबंधक	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
137	फोटोग्राफर	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
138	विच्छेदन कक्ष परिचर	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
139	खाद्य-प्रबंधक	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
140	बॉयलर परिचर	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
141	सहायक नर्स दाई	4	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
				क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
142	केंद्रीय विसंक्रमण कक्ष सहायक	3	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
				क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
143	शल्य चिकित्सा कक्ष सहायक	3	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
				क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

144	ड्रेसर	3	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
145	प्लास्टर सहायक	3	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
146	कनिष्ठ रेडियोग्राफर	3	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
147	अवर श्रेणी लिपिक	2	क.रा.बी. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और	क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली या निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में	(i) से (v)	बीमा आयुक्त (आंचलिक)

			निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और नोएडा में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय/ अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निदेशक	संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क.रा.बी. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और नोएडा में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय/ अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निदेशक	सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)
148	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)/सवार हरकारा/तिपहिया स्कूटर चालक	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
149	पुस्तकालय सहायक	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
150	लिफ्टमैन	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या	(i) से (v)	बीमा आयुक्त

			मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	(आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
151	वरिष्ठ गेस्टेटरनर प्रचालक	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)  बीमा आयुक्त (आंचलिक)
152	चेयर साइड असिस्टेंट (दंत)	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
153	चिकित्सा सहायक अभिलेख	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

				निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा (आंचलिक)	आयुक्त
154	प्रधान रसोइया	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा (आंचलिक)  चिकित्सा (आंचलिक)	आयुक्त  आयुक्त
155	प्रधान धुलाईघर प्रचालक	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा (आंचलिक)  चिकित्सा (आंचलिक)	आयुक्त  आयुक्त
156	लिनन कीपर	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा (आंचलिक)  चिकित्सा	आयुक्त  आयुक्त



				मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय		(आंचलिक)
157	डार्क रूम सहायक	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
158	इलेक्ट्रिशियन	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
159	कनिष्ठ तकनीशियन (ओर्थोटिक)	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
160	हवलदार (नर्सिंग अर्दलियों के लिए)	2	क्षेत्रीय निदेशक अथवा	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

	पर्यवेक्षक)		मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
161	बहु-कार्य स्टाफ	1	क.रा.बी. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और नोएडा में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय/ अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निदेशक	क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली या निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी	(i) से (v)	बीमा आयुक्त (आंचलिक)
				क.रा.बी. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और नोएडा में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय/ अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निदेशक	सभी	बीमा आयुक्त (आंचलिक)
162	नर्सिंग अर्दली	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

163	रसोइया/सहायक रसोइया-सह-वाहक- सह-मसालची	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा (आंचलिक)  चिकित्सा (आंचलिक)	आयुक्त  आयुक्त
164	धुलाईघर प्रचालक	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा (आंचलिक)  चिकित्सा (आंचलिक)	आयुक्त  आयुक्त
165	दर्जी	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा (आंचलिक)  चिकित्सा (आंचलिक)	आयुक्त  आयुक्त
166	मजदूर	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग	(i) से (v)	चिकित्सा (आंचलिक)	आयुक्त

			मुख्यालय	महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
167	प्रधान जमादार (सफाईवाला के लिए पर्यवेक्षक)	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
168	सफाईकर्मी	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
169	चयन ग्रेड ड्रेसर	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग	(i) से (v)	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

			मुख्यालय	महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
170	दाई	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)
171	आया	1	क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक मुख्यालय	निदेशक (चिकित्सा)* या चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा या दंत महाविद्यालयों के मामले में संकायाध्यक्ष या समकक्ष पदनाम या प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में निदेशक, प्रभारी, संयुक्त निदेशक, प्रभारी  क्षेत्रीय निदेशक अथवा मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निदेशक, मुख्यालय	(i) से (v)  सभी	चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)  चिकित्सा आयुक्त (आंचलिक)

\* निदेशक (चिकित्सा) में निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली, निदेशक (चिकित्सा) नोएडा तथा किसी अन्य स्थान पर सदृश विनिर्दिष्ट पद शामिल हैं।

नोट : यदि किसी वेतन स्तर में पद धारित किसी कर्मचारी का आशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रौन्नति/गतिकी आश्वस्त वृत्ति प्रौन्नति योजना के अंतर्गत अगले उच्चतम वेतनमान में उन्नयन होता है तो उस कर्मचारी के संबंध में नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी में कोई बदलाव नहीं होगा।

प्रणय सिन्हा, बीमा आयुक्त (का. एवं प्र.)

[विज्ञापन-III/4/असा./207/2023-24]

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2023.

**No. Z-24/14/1/2020-DPC (E.I).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.** — (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

(b) "Chairman, Corporation" means the Chairman of the Employees' State Insurance Corporation appointed under clause (a) of section 4 of the Act read with sub-rule (2) of rule 2 of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950;

(c) "Chairman, Standing Committee" means Chairman appointed under clause (a) of section 8 of the Act read with sub-rule (2) of rule 2 of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950;

(d) "Corporation" means the Employees' State Insurance Corporation established under the Act;

(e) "Director General" means the Director General of the Corporation;

(f) "Employee" means a person appointed to or borne on the cadre of the staff of the Corporation;

(g) "month" means a calendar month;

(h) "post" means a post under the Corporation, specified in column (2) of the First Schedule annexed to these regulations, the conditions of service of which, except the method of recruitment, shall be such as specified in these regulations;

(i) "Schedule" means a Schedule annexed to these regulations;

(j) "service" means service under the Corporation;

(k) "Standing Committee" means the Standing Committee of the Corporation as constituted under section 8 of the Act.

(2) Words and expressions used herein, but not defined, shall have the respective meaning assigned to them in the Act or the relevant rules applicable to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scale of pay.

**3. Application.**— (1) These regulations shall apply to every regular employee of the Corporation in respect of the posts specified in the First Schedule.

(2) In the case of persons appointed by the Corporation on deputation basis from the lending authorities, namely, the Central Government or State Government or Union territory Administration or local bodies or autonomous bodies including Universities, the terms and conditions of appointment shall be governed as settled by the respective appointing authority as specified in the Second Schedule, in consultation with the lending authority.

(3) These regulations shall not be applicable to the persons appointed on contract or tenure basis.

**4. Appointing authority.**— The appointing authority in respect of the posts specified in the First Schedule, shall be as specified in column (4) of the Second Schedule:

Provided that the Chairman, Corporation may, by general or special order, delegate to any other authority or officer of the Corporation, the power to make appointments to any post or class of posts specified in the First Schedule.

**5. Probation.**— (1) Every employee appointed to a post by direct recruitment or re-employment before the age of superannuation shall be on probation.

(2) The period of probation and other conditions of service relating thereto in respect of the employees appointed on direct recruitment or promotion or re-employment before the age of superannuation shall be as applicable to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay.

**6. Resignation, termination, etc.—** (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, a permanent employee shall not leave or discontinue his service without giving three months' notice, in writing of his intention to do so, to the appointing authority and subject to the acceptance of the same by the appointing authority.

(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, a temporary employee shall not leave or discontinue his service without giving one month's notice, in writing of his intention to do so, to the appointing authority.

(3) The rules or instructions, as may be applicable to the officers and employees of the Central Government drawing the corresponding scales of pay in respect of resignation or termination, shall be applicable to the employees of the Corporation referred to in sub-regulations (1) and (2).

(4) The services of a temporary employee may be terminated without assigning any reason therefor, at any time, after giving him one month's notice by the appointing authority:

Provided that the services of any such employee may be terminated forthwith and on such termination the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay and allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

**7. Pay, leave, provident fund, retirement age and allowances .—** (1) The scales of pay attached to the posts under the Corporation shall be as specified in the First Schedule.

(2) The Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as may be applicable to the officers and employees of the Central Government, shall *mutatis mutandis* be applicable to the employees of the Corporation drawing corresponding scales of pay.

(3) The General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as may be applicable to the officers and employees of the Central Government, shall *mutatis mutandis* be applicable to the employees of the Corporation drawing corresponding scales of pay.

(4) The age of retirement for the employees of the Corporation shall be such as may be prescribed by the Central Government in respect of the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay in accordance with Rule 56 of the Fundamental Rules.

(5) The employees of the Corporation shall be entitled to such allowances including travelling allowance and concessions, as may be admissible from time to time to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay.

**8. Pensionary benefits.—** (1) All regular employees of the Corporation who entered service on or before the 31<sup>st</sup> December, 2003, other than the Principal Officers appointed under section 16 of the Act, shall be entitled to the benefits of pension, commutation of pension, family pension, death-cum-retirement gratuity and service gratuity as are applicable to the officers and employees of Central Government under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021:

Provided that in the matter of the pensioners of the Employees' State Insurance Corporation, the consultation with Union Public Service Commission, as provided under proviso to rule 8 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 before passing of final orders, shall not be applicable.

(2) The Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 and the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 shall be applicable in the case of regular employees of the Corporation who have entered service on or after the 1<sup>st</sup> January, 2004:

Provided that in the matter of such retired employees of the Employees' State Insurance Corporation, the consultation with Union Public Service Commission, as provided under proviso to rule 5 of Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 before passing of final orders, shall not be applicable.

(3) An employee, who sustains an injury, or dies as a result of an injury, or dies in the course of and as a consequence of the performance of his duty, may be awarded an extraordinary pension on the same scale and subject to the same conditions as laid down in the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939 of the Central Government, as in force on the date of the publication of these regulations, and also subject to such modification as may be adopted by the Corporation with the approval of the Central Government.

(4) In the case of employees of the Corporation, the powers and functions of the authorities as prescribed in Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 shall be exercised by the officers or authorities of the Corporation, for the

purposes of this regulation, as per written orders issued from time to time by the Director General with the approval of the Chairman, Corporation.

**9. Control and discipline.**— (1) All employees of the Corporation shall be subject to the general superintendence and control of the Chairman, Corporation.

(2) Without prejudice to the provisions of these regulations, the conduct and discipline in respect of all employees of the Corporation, except Director General, Financial Commissioner and Chief Vigilance Officer, shall be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, as may be applicable to the officers and employees of the Central Government, or as the Chairman, Corporation may, from time to time, by general or special order, specify.

(3) The appointing authority, disciplinary authority and appellate authority for each post in the Corporation shall be such as may be specified in the Second Schedule, and the powers related to conduct, discipline and control of the employees of the Corporation shall be exercised as specified in the said Schedule.

**10. Suspension.**— (1) The appointing authority, or any authority to which the appointing authority is subordinate, or the disciplinary authority, or any other authority empowered in that behalf by the Director General, may, by general or special order, place an employee of the Corporation under suspension —

- (a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
- (b) where, in the opinion of the said authority, he has engaged himself in activities prejudicial to the interests of the Corporation or the security of the State; or
- (c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial:

Provided that where the order of suspension is made by an authority lower in rank than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority, the circumstances in which the order was made.

(2) An employee of the Corporation shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority—

- (a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;
- (b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

**Explanation.**— The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-regulation shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension is set aside in appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force, on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders:

Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

(5)(a) Subject to the provisions contained in sub-regulation (7), any order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) Where an employee is suspended or deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.



(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(6) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall be reviewed by the authority which is competent to modify or revoke the suspension, before expiry of ninety days from the effective date of suspension, on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension.

(b) Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension and the extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time.

(7) An order of suspension made or deemed to have been made under sub-regulation (1) or (2) shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of ninety days:

Provided that no such review of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under sub-regulation (2), if an employee continues to be under detention and in such case the period of ninety days shall be computed from the date the employee detained in custody is released from detention or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later:

Provided further that in a case where no charge-sheet is issued under these regulations, the total period under suspension or deemed suspension, as the case may be, including any extended period in terms of sub-regulation (6) shall not exceed—

(a) two hundred and seventy days from the date of order of suspension, if the employee is placed under suspension in terms of clause (a) of sub-regulation (1); or

(b) two years from the date of order of suspension, if the employee is placed under suspension in terms of clause (b) or clause (c) of sub-regulation (1), as the case may be; or

(c) two years from the date the employee detained in custody is released or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later, in the case of deemed suspension under sub-regulation (2).

**11. Penalties.**— The following penalties may, for good and sufficient reason and as hereinafter provided, be imposed on an employee of the Corporation, namely:-

**Minor penalties:**

(i) censure;

(ii) withholding of his promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Corporation by negligence or breach of orders;

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension;

(v) withholding of increments of pay.

**Major penalties:**

(vi) save as provided for in clause (iv), reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to lower time-scale of pay, grade, post or service for a period to be specified in the order of penalty, which shall be a bar to the promotion of the employee during such specified period to the time-scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with direction as to whether or not, on promotion on the expiry of the said specified period –

(a) the period of reduction to time-scale of pay, grade, post or service shall operate to postpone future increments of his pay, and if so, to what extent; and

(b) an employee shall regain his original seniority in the higher time scale of pay, grade, post or service;

(viii) compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Corporation;

- (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Corporation:

Provided that, in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known-sources of income or the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (ix) or clause (x) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.

**Explanation.**— The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation, namely:—

- (i) withholding of increments of pay of an employee for his failure to pass any departmental examination in accordance with the regulations or orders governing the post which he holds or the terms of his appointment;
- (ii) non-promotion of an employee, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, by a duly constituted departmental promotion committee to a grade or post for promotion to which he is eligible;
- (iii) reversion of an employee officiating in a higher grade or post to a lower grade or post, on the ground that he is considered by a duly constituted departmental promotion committee to be unsuitable for such higher grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;
- (iv) reversion of an employee, appointed on probation to any other grade or post, to his permanent grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the regulations and orders governing such probation;
- (v) replacement of the services of an employee, whose services had been borrowed from the Central Government or State Government or any authority under the control of the Central Government or State Government, at the disposal of the Central Government or State Government or the authority from which the services of such an employee had been borrowed;
- (vi) compulsory retirement of an employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;
- (vii) termination of the services—
  - (a) of an employee appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the regulations and orders governing such probation; or
  - (b) of a temporary employee in accordance with the provisions of regulation 6; or
  - (c) of an employee, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement;
- (viii) any compensation awarded on the recommendation of the Complaints Committee established in the Corporation for inquiring into any complaint of sexual harassment within the meaning of rule 3-C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

**12. Disciplinary authority and the authority to institute disciplinary proceedings.** — (1) The disciplinary authorities in respect of posts under the Corporation are as specified in the Second Schedule.

(2) A disciplinary authority, competent under these regulations to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of regulation 11, may institute disciplinary proceedings against any employee for the imposition of any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of the said regulation, notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these regulations to impose any of the penalties specified in clauses (vi) to (x).

**Explanation.**—Where an employee holding a post in any scale of pay is promoted, whether on probation or temporarily to the post of the next higher scale, he shall be deemed for the purpose of this regulation to hold the post of such higher scale.

**13. Procedure for imposing penalties.**— (1) The procedure for imposing penalties shall be the same as provided for under the relevant provisions of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(2) Where the procedure referred to in sub-regulation (1) provides for appointment of serving or retired Central Government employees for any purpose, such as, Inquiry Officer or Presenting Officer or Defence Assistant, then the serving or retired employees of the Corporation shall also be considered for the same.

(3) The competent authorities for the purpose of imposing penalties in respect of the posts in the Corporation shall be as specified in the Second Schedule:

Provided that consultation with Union Public Service Commission as provided under the relevant provisions of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall not be applicable in the case of employees of the Corporation.

**14. Provisions regarding Officials on deputation to Central Government, State Government, etc.—**

(1) Where the services of an employee are lent by the Corporation to the Central Government, State Government or any other authority (hereafter in this regulation referred to as the borrowing authority), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such an employee under suspension, and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the Corporation (hereafter in this regulation referred to as the lending authority) of the circumstances leading to the order of suspension of such employee or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against the employee –

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of regulation 11 should be imposed on the employee, it may, after consultation with the lending authority, make such orders in the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of regulation 11 should be imposed on the employee, it shall place his services at the disposal of the lending authority and forward to the lending authority, the proceedings of the inquiry and thereupon, the lending authority may, if it is the disciplinary authority, pass such order thereon as it may deem necessary, or if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass such orders in the case as it may deem necessary:

Provided that before passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provisions of regulation 13.

*Explanation.—* The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry forwarded to it by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with the provisions of regulation 13.

**15. Provisions regarding officials on deputation to Corporation.—** (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against an employee of the Corporation (hereafter in this regulation referred to as borrowing authority) whose services have been borrowed from the Central Government or a State Government or local authority, the authority lending his service (hereafter in this regulation referred to as the lending authority) shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of suspension of the employee or of the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the employee, if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of regulation 11 be imposed on him, the disciplinary authority may, subject to the provisions of regulation 13, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it may deem necessary.

(3) In the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the lending authority.

(4) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of regulation 11 be imposed on the employee, it shall place the services of such employee at the disposal of the lending authority, forwarding to it, the proceedings of the inquiry for such action as it may deem necessary.

**16. Appeals.—** Notwithstanding anything contained in these regulations, no appeal shall lie against—

- (i) any order made by the Central Government;
- (ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;
- (iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry conducted under regulation 13.

**17. Orders against which appeal lies.—** Subject to the provisions of regulation 16, an employee of the Corporation, may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely :-

- (i) an order of suspension made or deemed to have been made under regulation 10;

- (ii) an order imposing any of the penalties specified in regulation 11, whether made by the disciplinary authority or by any appellate or reviewing authority;
- (iii) an order enhancing any penalty imposed under regulation 11;
- (iv) an order which -
  - (a) denies or varies to his disadvantage, his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by these regulations or by agreement; or
  - (b) interprets to his disadvantage the provisions of any such regulation or agreement;
- (v) an order -
  - (a) reverting him while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post, otherwise than as a penalty;
  - (b) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under these regulations;
  - (c) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;
  - (d) determining his pay and allowances -
    - (i) for the period of suspension; or
    - (ii) for the period from the date of his dismissal, removal or compulsory retirement from service or from the date of his reduction to a lower grade, post, time-scale or stage in a time scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post; or
  - (e) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower grade, post, time-scale of pay or stage in a time scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

*Explanation.*— In this regulation, the expression —

- (i) “employee of the Corporation” includes a person who has ceased to be in the service of the Corporation;
- (ii) “pension” includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.

**18. Appellate authorities.**— An employee of the Corporation, including a person who has ceased to be in the service of the Corporation, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in regulation 17 to the authority specified in this behalf either in the Second Schedule; or by a general or special order of the Chairman, Corporation; or where no such authority is specified —

- (a) to the appointing authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it; or
- (b) to the Central Government, where such order is made by the Chairman, Corporation.

**19. Submission and consideration of appeals.**— An appeal under regulation 17 shall be submitted and shall be entertained and considered by the appellate authorities specified in regulation 18 in such form and manner, and in accordance with the procedure specified in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

**20. Implementation of orders in appeals.**— The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

**21. Revision.**— (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, —

- (i) the Central Government; or
- (ii) the Chairman, Corporation; or
- (iii) the Director General; or
- (iv) an appellate authority, as specified in the Second Schedule, within six months of the date of the order proposed to be revised; or
- (v) any other authority specified in this behalf by the Chairman, Corporation by a general or special order, and within such time as may be specified in such general or special order, may at any time, either on his or its own motion or otherwise, call for the records of any inquiry and revise any order made under these regulations, but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, and may-

- (a) confirm, modify or set aside the order; or
- (b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty, where no penalty has been imposed; or
- (c) remit the case to the authority which made the order to or any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or
- (d) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the employee of the Corporation has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed, and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of regulation 11 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of the said regulation; and if an inquiry under regulation 13 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in regulation 13:

Provided further that no power of revision shall be exercised by the authorities specified in clauses (i) to (v), unless—

- (a) the authority which made the order in appeal; or
- (b) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is subordinate to him.

(2) No proceeding for revision shall be commenced until after—

- (a) the expiry of the period of limitation for an appeal; or
- (b) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these regulations.

**22. Review.**— The Central Government, may, at any time, either on its own motion or otherwise review any order passed under these regulations, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the Central Government unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in regulation 11 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties, and if an inquiry under regulation 13 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in regulation 13.

**23. Conduct of employees.**— The employees of the Corporation shall be governed *mutatis mutandis* by the conduct rules applicable from time to time to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay.

**24. Other conditions of service.** — In respect of all other matters relating to the conditions of service of employees, for which no provision or insufficient provision has been made in these regulations, the rules applicable from time to time to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay shall apply:

Provided that where the Corporation is of the opinion that it is necessary to make departure from the rules or orders of the Central Government in respect of any matter under this regulation, it shall obtain prior approval of the Central Government.

**25. Competent authority for application of Central Government rules.**— For the purpose of application of the corresponding Central Government rules to the employees of the Corporation under these regulations, the Chairman, Corporation shall be the competent authority to exercise all the powers and functions which are vested in the President or Local Government or Ministries or Departments of the Government of India, under the various Central Government rules.

**26. Authority to authenticate order of the Chairman, Corporation.**— The orders passed by Chairman, Corporation (including orders passed in disciplinary matters) shall be authenticated by an officer equivalent to the rank of Additional Commissioner or Insurance Commissioner or Medical Commissioner, or above.

**27. Relaxation in exceptional cases.**— Where the Director General is satisfied that the operation of any regulation or provision in the matter of conditions of service of an employee causes undue hardship in any particular case, he may, with the prior approval of the Chairman, Corporation, by order, dispense with or relax the requirements of that

regulation or provision to such extent, and subject to such conditions as may be considered necessary for dealing with the case, in a just and equitable manner:

Provided that any such deviation or relaxation shall not exceed the extant provisions of the Central Government rules or instructions applicable to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay.

**28. Oath of allegiance to the Constitution of India.**— Every employee shall be required to take an oath or solemnly affirm his allegiance to the Constitution of India, as by law established, at the time of his appointment to the service of the Corporation.

**29. Declaration to be made by employees.**— Every employee, to whom these regulations apply, shall make the following declaration, namely: —

“I hereby declare that I have read and understood the Employees’ State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023, and I hereby subscribe and agree to be bound by the said regulations.

WITNESS	EMPLOYEE
Signature	Name
Name	Nature of appointment
Date	Date of appointment
Occupation	Signature
Address	Date ”

**30. Service of orders, notice, etc.**— Every order, notice and other process made or issued under these regulations, shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post or speed post or official electronic communication.

**31. Power to relax time-limit and to condone delay.**— Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons, extend the time specified in these regulations for anything required to be done thereunder, or condone any delay.

**32. Removal of doubts.**— If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the matter shall be referred to the Director General or such other authority, as may be specified by the Director General, by a general or special order, and the Director General or such authority shall decide the same.

#### FIRST SCHEDULE

[See regulations 2(h), 3(1), 4 and 7(1)]

A			
STATEMENT SHOWING POSTS AND CORRESPONDING PAY SCALES DRAWN BY EMPLOYEES OF EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION (ADMINISTRATIVE SIDE) CORRESPONDING TO THE PAY SCALES DRAWN BY OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE CENTRAL GOVERNMENT.			
Sl. No.	Name of post	Level	Pay matrix (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>ADMINISTRATIVE POSTS</b>			
1	Insurance Commissioner	Level - 14	144200 - 218200
2	Medical Commissioner	Level - 14	144200 - 218200
3	Medical Commissioner (AYUSH)	Level - 14	144200 - 218200
4	Additional Commissioner	Level - 13A	131100 – 216600
5	Director/ Regional Director Grade ‘A’	Level - 13	123100 – 215900
6	Joint Director / Regional Director Grade ‘B’	Level - 12	78800 – 209200
7	Deputy Director (Senior Time Scale)	Level - 11	67700 – 208700
8	Deputy Director	Level - 10	56100 – 177500
9	Assistant Director/ Manager Grade I	Level - 8	47600 – 151100
10	Social Security Officer/ Manager Grade II/ Superintendent	Level - 7	44900 – 142400

11	Assistant/ Head Clerk	Level - 6	35400 – 112400
12	Upper Division Clerk/ Upper Division Clerk Cashier	Level - 4	25500 – 81100
13	Lower Division Clerk	Level - 2	19900 – 63200
14	Multi-Tasking Staff	Level - 1	18000 - 56900
<b>ENGINEERING POSTS</b>			
15	Chief Engineer (Civil)	Level - 13A	131100 – 216600
16	Superintending Engineer (Civil)	Level - 13	123100 – 215900
17	Executive Engineer (Civil / Electrical)	Level - 11	67700 – 208700
18	Assistant Executive Engineer (Civil / Electrical)	Level - 10	56100 – 177500
19	Assistant Engineer (Civil / Electrical)	Level - 7	44900 – 142400
20	Junior Engineer (Civil / Electrical)	Level - 6	35400 – 112400
<b>ACTUARIAL POSTS</b>			
21	Actuary	Level - 13	123100 – 215900
22	Assistant Actuary	Level - 11	67700 – 208700
23	Deputy Director (Actuarial)	Level - 10	56100 – 177500
<b>INFORMATION TECHNOLOGY POSTS</b>			
24	Chief Information Technology Officer	Level - 14	144200 - 218200
25	Director (Technical)	Level - 13	123100 – 215900
26	Joint Director (Technical)	Level - 12	78800 – 209200
<b>OFFICIAL LANGUAGE POSTS</b>			
27	Director (Official Language)	Level - 13	123100 – 215900
28	Joint Director (Official Language)	Level - 12	78800 – 209200
29	Deputy Director (Official Language)	Level - 11	67700 – 208700
30	Assistant Director (Official Language)	Level - 10	56100 – 177500
31	Senior Translation Officer	Level - 7	44900 – 142400
32	Junior Translation Officer	Level - 6	35400 – 112400
<b>PERSONAL STAFF</b>			
33	Principal Private Secretary	Level - 11	67700 – 208700
34	Private Secretary (Non-functional Selection Grade )	Level - 10	56100 – 177500
35	Private Secretary	Level - 8	47600 – 151100
36	Personal Assistant	Level - 7	44900 – 142400
37	Stenographer	Level - 4	25500 – 81100
<b>STAFF CAR DRIVER POSTS</b>			
38	Staff Car Driver (Special Grade)	Level - 6	35400 – 112400
39	Staff Car Driver Grade-I	Level - 5	29200 - 92300
40	Staff Car Driver Grade-II	Level - 4	25500 – 81100
41	Staff Car Driver (Ordinary Grade)/ Despatch Rider/ Three-Wheeler Scooter Driver	Level - 2	19900 – 63200
<b>LIBRARIAN POSTS</b>			
42	Librarian Grade-I	Level - 6	35400 – 112400

43	Librarian Grade-II	Level - 5	29200 - 92300
44	Library Assistant	Level - 2	19900 – 63200
<b>EX-CADRE POSTS</b>			
45	Assistant Legal Advisor	Level - 11	67700 – 208700
46	Artist	Level - 6	35400 – 112400
47	Liftman	Level - 2	19900 – 63200
48	Senior Gestetner Operator	Level - 2	19900 – 63200

<b>B</b>	STATEMENT SHOWING POSTS AND CORRESPONDING PAY SCALES DRAWN BY EMPLOYEES OF EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (MEDICAL SIDE) CORRESPONDING TO THE PAY SCALES DRAWN BY OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE CENTRAL GOVERNMENT.		
<b>Sl. No.</b>	<b>Name of the posts</b>	<b>Level</b>	<b>Pay matrix (in Rs.)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Insurance Medical Officer Grade-II	Level-10	56100 – 177500
2	Insurance Medical Officer Grade-I / Medical Referee	Level-11	67700 – 208700
3	Chief Medical Officer	Level-12	78800 – 209200
4	Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade)	Level-13	123100 – 215900
5	Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade)	Level-14	144200 - 218200
6	Medical Officer (Ayurveda)	Level-10	56100 – 177500
7	Senior Medical Officer (Ayurveda)	Level-11	67700 – 208700
8	Chief Medical Officer (Ayurveda)	Level-12	78800 – 209200
9	Chief Medical Officer Non-functional Selection Grade (Ayurveda)	Level-13	123100 – 215900
10	Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) (Ayurveda)	Level-14	144200 - 218200
11	Medical Officer (Homeopathy)	Level-10	56100 – 177500
12	Senior Medical Officer (Homeopathy)	Level-11	67700 – 208700
13	Chief Medical Officer (Homeopathy)	Level-12	78800 – 209200
14	Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) (Homeopathy)	Level-13	123100 – 215900
15	Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) (Homeopathy)	Level-14	144200 - 218200
16	Dental Surgeon	Level-10	56100 – 177500
17	Junior Staff Surgeon (Dental)	Level-11	67700 – 208700
18	Staff Surgeon (Dental)	Level-12	78800 – 209200
19	Staff Surgeon (Dental) (Non-functional Selection Grade)	Level-13	123100 – 215900
20	Consultant in Dental Surgery	Level-14	144200 - 218200
21	Specialist Grade-II (Junior Scale)	Level-11	67700 – 208700
22	Specialist Grade-II (Senior Scale) (Super	Level-12	78800 – 209200



	Specialists)		
23	Specialist Grade-II (Senior Scale) (Other than super specialties)	Level-12	78800 – 209200
24	Specialist Grade-I	Level-13	123100 – 215900
25	Consultant (Erstwhile Senior Administrative Grade Posts in Specialist sub-cadre)	Level-14	144200 - 218200
26	Assistant Professor (for Medical Teaching Institute)	Level-11	67700 – 208700
27	Associate Professor (for Medical Teaching Institute)	Level-12	78800 – 209200
28	Professor (for Medical Teaching Institute)	Level-13	123100 – 215900
29	Director Professor (for Medical Teaching Institute)	Level-14	144200 - 218200
30	Dean / Principal or Dean of Under Graduate and Post Graduate Medical College.	Level-14	144200 - 218200
31	Assistant Professor (for Dental Teaching Institute)	Level-11	67700 – 208700
32	Associate Professor (for Dental Teaching Institute)	Level-12	78800 – 209200
33	Professor (for Dental Teaching Institute)	Level-13	123100 – 215900
34	Director Professor (for Dental Teaching Institute)	Level-14	144200 - 218200
35	Principal/Dean of Dental College	Level-14	144200 - 218200
36	Principal (Nursing College)	Level-12	78800 – 209200
37	Vice-Principal (Nursing College)	Level-12	78800 – 209200
38	Professor (Nursing College)	Level-12	78800 – 209200
39	Associate Professor (Nursing College)	Level-11	67700 – 208700
40	Assistant Professor (Nursing College)	Level-10	56100 – 177500
<b>Other Post</b>			
41	Bio Medical Engineer	Level-10	56100 – 177500
42	Supply Chain Manager	Level-10	56100 – 177500
43	Junior Bio-Chemist (Non-Medical)	Level-10	56100 – 177500
<b>Nursing post</b>			
44	Assistant Nursing Superintendent	Level-10	56100 – 177500
45	Nursing Superintendent	Level-11	67700 – 208700
46	Chief Nursing Officer	Level-12	78800 – 209200
47	Nursing Officer	Level-7	44900 – 142400
48	Senior Nursing Officer	Level-8	47600 – 151100
49	Deputy Nursing Superintendent	Level-10	56100 – 177500
<b>Paramedical post</b>			
50	Senior Technical Assistant (ECG)	Level-6	35400 – 112400
51	Medical Record Officer	Level-6	35400 – 112400
52	Senior Technical Assistant (Radiology)	Level-6	35400 – 112400

53	Physiotherapist	Level-6	35400 – 112400
54	Dietician	Level-7	44900 – 142400
55	Senior Dietician	Level-10	56100 – 177500
56	Occupational Therapist	Level-6	35400 – 112400
57	Dental Hygienist	Level-6	35400 – 112400
58	Nursing Orderly	Level-1	18000 - 56900
59	Central Sterilisation Room Assistant	Level-3	21700 - 69100
60	Central Sterilisation Room Technician	Level-4	25500 – 81100
61	Senior Central Sterilisation Room Technician	Level-5	29200 - 92300
62	Senior Technical Assistant (Operation Theatre/Central Sterile Supply Department/ Central Sterilisation Room )	Level-6	35400 – 112400
63	Operation Theatre Assistant	Level-3	21700 - 69100
64	Operation Theatre Technician	Level-4	25500 – 81100
65	Senior Operation Theatre Technician	Level-5	29200 - 92300
66	Junior Medical Laboratory Technologist	Level-5	29200 - 92300
67	Lab Technician	Level-5	29200 - 92300
68	Senior Technical Assistant Lab	Level-6	35400 – 112400
69	Blood Bank Technician	Level-5	29200 - 92300
70	Senior Blood Bank Technician	Level-6	35400 – 112400
71	Dresser	Level-3	21700 - 69100
72	Plaster Assistant	Level-3	21700 - 69100
73	Plaster Technician	Level-4	25500 – 81100
74	ECG Technician	Level-4	25500 – 81100
75	Senior ECG Technician	Level-5	29200 - 92300
76	Cook/Cookmate-cum-Bearer- cum- Masalchi	Level-1	18000 - 56900
77	Head Cook	Level-2	19900 – 63200
78	Steward	Level-4	25500 – 81100
79	Laundry Operator	Level-1	18000 - 56900
80	Head Laundry Operator	Level-2	19900 – 63200
81	Laundry Supervisor	Level-5	29200 - 92300
82	Laundry Manager	Level-7	44900 – 142400
83	Medical Record Assistant	Level-2	19900 – 63200
84	Medical Record Technician	Level-4	25500 – 81100
85	Pharmacist (Allopathic)	Level-5	29200 - 92300
86	Senior Pharmacist (Allopathic) (Non-Functional Grade)	Level-6	35400 – 112400
87	Pharmacy Officer (Allopathic) (Non- Functional Grade)	Level-7	44900 – 142400
88	Senior Pharmacy Officer (Allopathic) (Non-Functional Grade)	Level - 8	47600 – 151100

89	Pharmacist (Homeopathy)	Level-5	29200 - 92300
90	Pharmacist (Ayurvedic)	Level-5	29200 - 92300
91	Dental Mechanic	Level-5	29200 - 92300
92	Optometrist	Level-6	35400 - 112400
93	Senior Optometrist	Level-7	44900 - 142400
94	Optometry Officer	Level-7	44900 - 142400
95	Respiratory Laboratory Assistant	Level-4	25500 - 81100
96	Respiratory Laboratory Technician	Level-5	29200 - 92300
97	Tailor	Level-1	18000 - 56900
98	Linen Keeper	Level-2	19900 - 63200
99	Junior Radiographer	Level-3	21700 - 69100
100	Dark Room Assistant	Level-2	19900 - 63200
101	Radiographer	Level-5	29200 - 92300
102	Senior Physiotherapist	Level-6	35400 - 112400
103	Boiler Attendant	Level-4	25500 - 81100
104	Electrician	Level-2	19900 - 63200
105	Social Guide / Social Worker	Level-4	25500 - 81100
106	Dialysis Technician	Level-5	29200 - 92300
107	House Keeper	Level-4	25500 - 81100
108	Auxiliary Nurse Midwife	Level-4	25500 - 81100
109	Junior Technician (Orthotic)	Level-2	19900 - 63200
110	Audiometer Technician	Level-5	29200 - 92300
111	Mazdoor	Level-1	18000 - 56900
112	Head Zamadar (Supervisor for Safaiwala)	Level-1	18000 - 56900
113	Lady Health Visitor	Level-5	29200 - 92300
114	Selection Grade Dresser	Level-1	18000 - 56900
115	Dai	Level-1	18000 - 56900
116	Aya	Level-1	18000 - 56900
117	Sweeper	Level-1	18000 - 56900
118	Havaldar (Supervisor for Nursing Orderlies)	Level-2	19900 - 63200
119	Selection Grade Lady Health Visitor	Level-5	29200 - 92300
120	Store Keeper-cum-Pharmacist-cum-Clerk	Level-5	29200 - 92300
121	Chair Side Assistant (Dental)	Level-2	19900 - 63200
122	Artist Modeller	Level-6	35400 - 112400
123	Photographer	Level-4	25500 - 81100
124	Physical Instructor	Level-6	35400 - 112400
125	Dissection Hall Attendants	Level-4	25500 - 81100

## SECOND SCHEDULE

[See regulations 3(2), 4, 9(3), 12(1), 13(3) and 18]

Sl. No.	Name of post.	Level.	Appointing Authority.	Disciplinary Authority.	Penalties which the Disciplinary Authority may impose (with reference to Item numbers in regulation 11).	Appellate Authority.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Insurance Commissioner	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
2.	Medical Commissioner	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
3.	Medical Commissioner (AYUSH)	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
4.	Chief Information Technology Officer	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
5.	Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade)	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
6.	Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade)(Ayurveda)	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
7.	Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) (Homeopathy)	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
8.	Consultant in Dental Surgery	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
9.	Consultant (Erstwhile Senior Administrative Grade Posts in Specialist sub-cadre)	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
10.	Director Professor (for Medical Teaching Institute)	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
11.	Principal or Dean of Under Graduate and Post Graduate Medical College	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
12.	Director Professor (for Dental Teaching Institute)	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
13.	Principal/Dean of Dental College	14	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
14.	Additional	13 A	Chairman,	Chairman,	All	Central

	Commissioner		Corporation	Corporation		Government
15.	Chief Engineer (Civil)	13 A	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
16.	Director/ Regional Director Grade 'A'	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
17.	Superintending Engineer (Civil)	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
18.	Actuary	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
19.	Director (Technical)	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
20.	Director (Official Language)	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
21.	Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade)	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
22.	Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) (Ayurveda)	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
23.	Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) (Homeopathy)	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
24.	Staff Surgeon (Dental) (Non-functional Selection Grade )	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
25.	Specialist Grade-I	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
26.	Professor (for Medical Teaching Institute)	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
27.	Professor (for Dental Teaching Institute)	13	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
28.	Joint Director / Regional Director Grade 'B'	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
29.	Joint Director (Technical)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
30.	Joint Director (Official Language)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
31.	Chief Medical Officer	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
32.	Chief Medical Officer (Ayurveda)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
33.	Chief Medical Officer (Homeopathy)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government

34.	Staff Surgeon (Dental)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
35.	Specialist Grade-II (Senior Scale) (Super Specialists)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
36.	Specialist Grade-II (Senior Scale) (Other than super specialties)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
37.	Associate Professor (for Medical Teaching Institute)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
38.	Associate Professor (for Dental Teaching Institute)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
39.	Principal (Nursing College)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
40.	Vice-Principal (Nursing College)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
41.	Professor (Nursing College)	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
42.	Chief Nursing Officer	12	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
43.	Executive Engineer (Civil / Electrical)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
44.	Assistant Actuary	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
45.	Deputy Director (Official Language)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
46.	Principal Private Secretary	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
47.	Assistant Legal Advisor	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
48.	Insurance Medical Officer Grade-I / Medical Referee	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
49.	Senior Medical Officer (Ayurveda)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
50.	Senior Medical Officer (Homeopathy)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
51.	Junior Staff Surgeon (Dental)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
52.	Specialist Grade-II (Junior Scale)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
53.	Assistant Professor (for Medical Teaching Institute)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
54.	Assistant Professor (for Dental Teaching Institute)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government

55.	Associate Professor (Nursing College)	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
56.	Nursing Superintendent	11	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
57.	Deputy Director	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
58.	Assistant Executive Engineer (Civil / Electrical)	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
59.	Deputy Director (Actuarial)	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
60.	Assistant Director (Official Language)	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
61.	Insurance Medical Officer Grade-II	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
62.	Medical Officer (Ayurveda)	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
63.	Medical Officer (Homeopathy)	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
64.	Dental Surgeon	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
65.	Assistant Professor (Nursing College)	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
66.	Assistant Nursing Superintendent	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
67.	Supply Chain Manager	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
68.	Bio Medical Engineer	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
69.	Junior Bio-Chemist (Non-Medical)	10	Chairman, Corporation	Chairman, Corporation	All	Central Government
70.	Deputy Nursing Superintendent	10	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Director General	(i) to (v)  All	Chairman, Standing Committee  Chairman, Standing Committee
71.	Senior Dietician	10	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or	(i) to (v)	Chairman, Standing Committee

				Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.		
				Director General	All	Chairman, Standing Committee
72.	Assistant Director/ Manager Grade I	8	Director General	Director General	All	Chairman, Standing Committee
73.	Private Secretary	8	Director General	Director General	All	Chairman, Standing Committee
74.	Senior Nursing Officer	8	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Director General	(i) to (v)  All	Chairman, Standing Committee  Chairman, Standing Committee
75.	Senior Pharmacy Officer (Allopathic) (Non-functional Grade)	8	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
76.	Assistant Engineer (Civil / Electrical)	7	Director General	Director General	All	Chairman, Standing Committee
77.	Senior Translation	7	Director	Director General	All	Chairman,



	Officer		General			Standing Committee
78.	Social Security Officer/ Manager Grade II/ Superintendent	7	Director General	Director General	All	Chairman, Standing Committee
79.	Personal Assistant	7	Director General	Director General	All	Chairman, Standing Committee
80.	Nursing Officer	7	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Director General	(i) to (v)  All	Chairman, Standing Committee  Chairman, Standing Committee
81.	Dietician	7	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices. Director General	(i) to (v)  All	Chairman, Standing Committee  Chairman, Standing Committee
82.	Pharmacy Officer (Allopathic) (Non-functional Grade)	7	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices. Regional Director or Director	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner

				Headquarters for employee posted in Headquarters.		(Zonal)
83.	Senior Optometrist	7	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
84.	Optometry Officer	7	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
85.	Laundry Manager	7	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

				Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
86.	Junior Engineer (Civil / Electrical)	6	Director General	Director General	All	Chairman, Standing Committee
87.	Junior Translation Officer	6	Director General	Director General	All	Chairman, Standing Committee
88.	Staff Car Driver (Special Grade)	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
89.	Assistant/ Head Clerk	6	Director, Headquarters for employees posted under ESIC Headquarters, Regional Office Delhi and Directorate (Medical) Delhi and Noida / Regional Director for other Regions.	Regional Director, Delhi or Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Director, Headquarters for employees posted under ESIC Headquarters, Regional Office Delhi and Directorate (Medical) Delhi and Noida/ Regional Director for other Regions.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)

90.	Librarian Grade-I	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
91.	Artist	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
92.	Senior Technical Assistant (ECG)	6	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Director General	(i) to (v)  All	Chairman, Standing Committee  Chairman, Standing Committee
93.	Medical Record Officer	6	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent	(i) to (v)	Chairman, Standing Committee

				designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices. Director General	All	Chairman, Standing Committee
94.	Senior Technical Assistant (Radiology)	6	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices. Director General	(i) to (v)  All	Chairman, Standing Committee  Chairman, Standing Committee
95.	Physiotherapist	6	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices. Director General	(i) to (v)  All	Chairman, Standing Committee  Chairman, Standing Committee
96.	Occupational Therapist	6	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of	(i) to (v)	Chairman, Standing Committee

				Sub-Regional Offices. Director General	All	Chairman, Standing Committee
97.	Dental Hygienist	6	Director General	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Director General	(i) to (v)  All	Chairman, Standing Committee  Chairman, Standing Committee
98.	Senior Technical Assistant (Operation Theatre /Central Sterile Supply Department/ Central Sterilisation Room)	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
99.	Senior Technical Assistant Lab	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner

				employee posted in Headquarters.		(Zonal)
100.	Senior Blood Bank Technician	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
101.	Senior Pharmacist (Allopathic) (Non-functional Grade)	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
102.	Optometrist	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)

				employee posted in Headquarters.		
103.	Senior Physiotherapist	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
104.	Physical Instructor	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
105.	Artist Modeller	6	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)



				employee posted in Headquarters.		
106.	Staff Car Driver Grade I	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
107.	Librarian Grade-II	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
108.	Senior Central Sterilisation Room Technician	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)

109.	Senior Operation Theatre Technician	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In- charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)          All	Medical Commissioner (Zonal)          Medical Commissioner (Zonal)
110.	Junior Medical Laboratory Technologist	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In- charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)          All	Medical Commissioner (Zonal)          Medical Commissioner (Zonal)
111.	Lab Technician	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In- charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)          All	Medical Commissioner (Zonal)          Medical Commissioner (Zonal)
112.	Blood Bank Technician	5	Regional Director or Director Headquarters	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

			for employee posted in Headquarters.	designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
113.	Senior ECG Technician	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
114.	Pharmacist (Allopathic)	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
115.	Pharmacist (Homeopathy)	5	Regional Director or Director Headquarters	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

			for employee posted in Headquarters.	designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
116.	Pharmacist (Ayurvedic)	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
117.	Dental Mechanic	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
118.	Respiratory Laboratory Technician	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

			Headquarters.	Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
119.	Radiographer	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
120.	Dialysis Technician	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
121.	Audiometer Technician	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

			Headquarters.	Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
122.	Laundry Supervisor	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
123.	Selection Grade Lady Health Visitor	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
124.	Lady Health Visitor	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

			Headquarters.	Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.		
				Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
125.	Store keeper-cum-Pharmacist-cum-Clerk	5	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
126.	Upper Division Clerk/Upper Division Clerk/Cashier	4	Director, Headquarters for employees posted under ESIC Headquarters, Regional Office Delhi and Directorate (Medical) Delhi and Noida / Regional Director for other Regions.	Regional Director, Delhi or Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Director Headquarters for employees posted under ESIC Headquarters, Regional Office Delhi and Directorate	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)

				(Medical) Delhi and Noida/ Regional Director for other Regions.		
127.	Stenographer	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
128.	Staff Car Driver Grade II	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
129.	Central Sterilisation Room Technician	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner



				employee posted in Headquarters.		(Zonal)
130.	Operation Theatre Technician	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
131.	Plaster Technician	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
132.	ECG Technician	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)

				Headquarters.		
133.	Medical Record Technician	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	<p>Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.</p> <p>Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.</p>	(i) to (v)  All	<p>Medical Commissioner (Zonal)</p> <p>Medical Commissioner (Zonal)</p>
134.	Respiratory Laboratory Assistant	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	<p>Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.</p> <p>Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.</p>	(i) to (v)  All	<p>Medical Commissioner (Zonal)</p> <p>Medical Commissioner (Zonal)</p>
135.	Social Guide / Social Worker	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	<p>Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.</p> <p>Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.</p>	(i) to (v)  All	<p>Medical Commissioner (Zonal)</p> <p>Medical Commissioner (Zonal)</p>

136.	House Keeper	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
137.	Photographer	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
138.	Dissection Hall Attendant	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
139.	Steward	4	Regional Director or	Director (Medical)* or Medical	(i) to (v)	Medical Commissioner

			Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	(Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
140.	Boiler Attendant	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
141.	Auxiliary Nurse Midwife	4	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
142.	Central Sterilisation	3	Regional Director or	Director (Medical)* or Medical	(i) to (v)	Medical Commissioner

	Room Assistant		Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	(Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
143.	Operation Theatre Assistant	3	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
144.	Dresser	3	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
145.	Plaster Assistant	3	Regional Director or	Director (Medical)* or Medical	(i) to (v)	Medical Commissioner

			Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	(Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
146.	Junior Radiographer	3	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
147.	Lower Division Clerk	2	Director, Headquarters for employees posted under ESIC Headquarters, Regional Office Delhi and Directorate (Medical) Delhi and Noida / Regional Director for other Regions.	Regional Director, Delhi or Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Director, Headquarters for employees posted under ESIC Headquarters, Regional Office	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)

				Delhi and Directorate (Medical) Delhi and Noida/ Regional Director for other Regions.		
148.	Staff Car Driver (Ordinary Grade)/ Despatch Rider/ Three-Wheeler Scooter Driver	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
149.	Library Assistant	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
150.	Liftman	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.	(i) to (v)	Insurance Commissioner (Zonal)

				Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Insurance Commissioner (Zonal)
151.	Senior Gestetner Operator	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Insurance Commissioner (Zonal)  Insurance Commissioner (Zonal)
152.	Chair Side Assistant (Dental)	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
153.	Medical Record Assistant	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner



				Headquarters for employee posted in Headquarters.		(Zonal)
154.	Head Cook	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
155.	Head Laundry Operator	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
156.	Linen Keeper	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)

				Headquarters.		
157.	Dark Room Assistant	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
158.	Electrician	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
159.	Junior Technician (Orthotic)	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)

160.	Havaldar (Supervisor for Nursing Orderlies)	2	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In- charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)          All	Medical Commissioner (Zonal)          Medical Commissioner (Zonal)
161.	Multi-Tasking Staff	1	Director, Headquarters for employees posted under ESIC Headquarters, Regional Office Delhi and Directorate (Medical) Delhi and Noida / Regional Director for other Regions.	Regional Director, Delhi or Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In- charge in case of Sub-Regional Offices.  Director, Headquarters for employees posted under ESIC Headquarters, Regional Office Delhi and Directorate (Medical) Delhi and Noida/ Regional Director for other Regions.	(i) to (v)          All	Insurance Commissioner (Zonal)          Insurance Commissioner (Zonal)
162.	Nursing Orderly	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In- charge in case of Sub-Regional	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

				Offices. Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
163.	Cook/Cookmate-cum-Bearer-cum-Masalchi	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
164.	Laundry Operator	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
165.	Tailor	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

				Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
166.	Mazdoor	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
167.	Head Zamadar (Supervisor for Safaiwala)	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
168.	Sweeper	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

				Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
169.	Selection Grade Dresser	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
170.	Dai	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.  Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	(i) to (v)  All	Medical Commissioner (Zonal)  Medical Commissioner (Zonal)
171.	Aya	1	Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	Director (Medical)* or Medical Superintendent or Dean or equivalent designation in case of Medical or Dental Colleges or Principal, Nursing Colleges or Director In-charge, Joint Director In-charge in case of Sub-Regional Offices.	(i) to (v)	Medical Commissioner (Zonal)

				Regional Director or Director Headquarters for employee posted in Headquarters.	All	Medical Commissioner (Zonal)
--	--	--	--	--	-----	------------------------------------

\* Director (Medical) includes Director (Medical) Delhi, Director (Medical) Noida and similarly designated post at any other location.

**Note:** In case an employee holding a post in a level of pay is upgraded to next higher pay level under Modified Assured Career Progression or Dynamic Assured Career Progression Scheme, the Appointing and Disciplinary Authority in respect of that employee shall not change.

PRANAY SINHA, Insurance Commissioner (P&A)

[ADVT.- III/4/Exty./207/2023-24]



**मुख्यालय/ HEADQUARTERS**  
**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
 (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**स्थापना शाखा - 1/ ESTABLISHMENT BRANCH - 1**  
**पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002**  
**PANCHDEEP BHAWAN, CIG MARG, NEW DELHI - 110 002**  
**Website: esic.nic.in/ esic.in**

No.Z-13012/10/2023-Estt.I

Dated: 29-08-2023

**Memorandum**

In accordance with Regulation 10(6)(a) of Employees' State Insurance Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 2023, Competent Authority has approved constitution of Suspension Review Committee for reviewing the suspension cases pertaining to those cadres/posts for which Director General, ESIC is the Appointing Authority, as under:

Director General	Chairman
Medical Commissioner (Medical Administration)	Member
Insurance Commissioner (P&A)	Member

(Amit Kumar)  
 Deputy Director (E-I)

To:

1. PPS/PS to DG/CVO/FC, ESIC and all Divisional Heads, ESIC Hqrs Office.
2. All Zonal Insurance Commissioners and Zonal Medical Commissioners.
3. All Additional Commissioners/ Regional Directors/ Directors/ Joint Directors/ Dy. Directors (I/c) of the ROs/SROs/Headquarters.
4. D (M) Delhi/ D (M) Noida.
5. All Deans and Medical Superintendents of ESIC Hospitals/ODCs/ESIC PGIMSR / Medical Colleges / Dental Colleges.
6. Vigilance Branch/ DPC Cell/ Medical Admin. Branch, ESIC Hqrs Office.
7. Website Content Manager, Hqrs, with the request to upload the same on the ESIC website.
8. Guard file / Spare copies.